BRJE010027682019

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनु.जा./अनु.जन.जा.), जहानाबाद।
उपस्थितः– अरुण कुमार शर्मा
विशेष अनु.जा./अनु.जन.जा. वाद संख्या – 108/2019
(सम्बंधित कुर्था थाना कांड संख्या 229 सन् 2018)

सूचक	राज्य द्वाराः–संजय कुमार, पिता स्व0 विजय कुमार, साकिन मानिकपुर, थाना कुर्था, मानिकपुर ओ0पी0, जिला अरवल।
द्वारा प्रस्तुत	अभियोजन की तरफ से:– श्री राकेश कुमार, प्रभारी विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण	1. हरेराम बिन्द, उम्र 28 वर्ष, पिता रामविनय बिन्द, 2. नागेन्द्र कुमार पासवान, उम्र 29 वर्ष, पिता झगडू पासवान 3. मुन्ना कुमार सिंह उर्फ रवि रंजन, उम्र 27 वर्ष, पिता राजेन्द्र सिंह, सभी साकिन मानिकपुर, थाना कुर्था, मानिकपुर, जिला अरवल।
द्वारा प्रस्तुत	अभियुक्तगण की तरफ से :– अभियुक्त हरेराम बिन्द की ओर से श्री विनोद कुमार, विद्वान अधिवक्ता। अभियुक्त नागेन्द्र कुमार पासवान की ओर से श्री गिरिजा नन्दन सिंह, विद्वान अधिवक्ता। अभियुक्त मुन्ना कुमार पासवान की ओर से श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता।
घटना की तिथि	25.12.2018
प्राथमिकी की तिथि	27.12.2018
आरोप पत्र की तिथि	25.03.2019
आरोप विरचना की तिथि	19.06.2023
साक्ष्य के प्रारंभ होने की तिथि	17.07.2023
निर्णय तय करने की तिथि	13.02.2026
निर्णय की तिथि	25.02.2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	11.03.2026

Web Copy, Civil Court Jehanabad.

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्तगण का रैंक	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छुटने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	आरोपित सजा	धारा 428 द0प्र0स0 के प्रयोजनों के लिए विचारण के दौरान निरोध की अवधि
ए–1	हरेराम बिन्द	28.12.2018	19.12.2019	धारा 364(A)/34, 302/34, 120(B) भा0द0वि0 एवं 3(2)(v) एस.सी. /एस.टी. अधिनियम	धारा 364(A), 302, 120(B) भा0द0विमें दोषसिद्ध व धारा 3(2)(v) एस.सी. /एस.टी. अधिनिय में दोषमुक्त	धारा 364(A) भा0द0वि0, धारा 302 भा0द0वि0 व धारा 120(B) भा0द0वि0 में उपरोक्त प्रत्येक धाराओं के लिए आजीवन कारावास की सजा व बीस–बीस हजार का अर्थदण्ड। अर्थदण्ड न दिए जाने पर छः–छः मास के अतिरिक्त कारावास की सजा।	28.12.2018 से 18.12.2019 तक निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध
ए–2	नागेन्द्र कुमार पासवान	29.12.2018	09.07.2019		दोषमुक्त	–	–
ए–3	मुन्ना कुमार सिंह,	29.12.2018	25.07.2019		दोषमुक्त	–	–

Web Copy, Civil Court Jehanabad

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण 1. हरेराम बिन्द, 2. मुन्ना कुमार सिंह व 3. नागेन्द्र कुमार पासवान के विरूद्ध अंतर्गत धारा 364(A)/34, 302/34, 120(B) भा0द0वि0 एवं 3(2)(v) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम में विरचित आरोपो के लिए विचारण किया गया है।

यहॉ पर यह उल्लेख किया जाना है कि समीचिन है कि इस मामले में अभियुक्त हरेराम विंद व एक सह अभियुक्त के विरूद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अनुसंधान के क्रम में सह अभियुक्त द्वारा घटना की तिथि को किशोर होने का आवेदन दिए जाने पर उसका वाद आदेश फलक दिनांक 19.02.2019 से मूल वाद से पृथक कर किशोर न्याय परिषद को प्रेषित कर दिया गया था। इसलिए प्रस्तुत वाद में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए उसके नाम का खुलासा नही किया गया है तथा उसे विधि विवादित किशोर ''एक्स'' से संबोधित किया गया है।

2. प्राथमिकी के अनुसार, संक्षेप में फर्दबयान के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 25.2.2018 को समय करीब पूर्वाह्न 10:00 बजे दिन में सूचक का लड़का अंकित कुमार को मानिकपुर मेला परिसर में हो रहे क्रिकेट मैच देखने के लिए उसके गॉव के हीं पड़ोसी लड़का विधि विवादित किशोर ''एक्स'' एवं हरेराम बिन्द, घर से बुलाकर उसके एंव उसके परिवार के समक्ष मोटर साईकिल पर बैठा कर ले गए। जब लड़का अंकित कुमार घर नहीं लौटा तो वह हो रहे क्रिकेट मैच के पास जाकर देखा वहॉ उसका लड़का कही नहीं दिखा तो मानिकपुर ओ0पी0 में सूचना दिया। जब वह घर आया तो उसका बड़ा लड़का अमित कुमार का मोबाईल नं0 6203501749 पर मोबाईल नं0 9523933641 से समय करीब अप्राहन 02:19 बजे दिन में फोन आया की तुम्हारा भाई हमलोग के कब्जा में है, यदि तुम 20 लाख रूपया अपने पिता से दिलाओगे तो तुम्हारा भाई को हमलोग छोड़ देंगे, यदि पुलिस को इसके बारे में बतलाओगे तो इसका परिणाम बुरा होगा। पुनः उसी मोबाईल नम्बर से उसका बड़ा लड़का का मोबाईल फोन पर अप्राहन 04:29 बजे तक दिन में कई बार फोन आया और 20 लाख रूपया का मांग हर बार की गई। हम पुरा परिवार डरे सहमे हुए थे और कोई अनहोनी से बचने के लिए इसकी सूचना किसी को नहीं दिये। जब उसका लड़का पुरा दिन–रात तक घर नहीं आया तो पुरा परिवार आपस में विचार कर इस बात की जानकारी देने के लिए आप को अपने घर बुलाया। फोन पर फिरौती मांगने वाले व्यक्ति का आवाज विधि विवादित किशोर ''एक्स'' का हीं था क्योंकि वह उसका पड़ोसी है। वह और उसका बड़ा लड़का उसकी आवाज को भली–भांती पहचानते हैं। फोन आने के बाद वह, विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम बिन्द के घर गया तो वे दोनों घर पर नहीं थे। उसका दावा है कि उसका लड़का अंकित कुमार उम्र करीब 14 वर्ष को पड़ोसी विधि विवादित किशोर ''एक्स'' एवं हरेराम बिन्द हीं अपहरण कर कहीं रखे है और फिरौती के रूप में 20 लाख रूपया की मांग कर रहे है।

3. सूचक के दिये गये फर्दबयान के आधार पर कुर्था मानीकपुर थाना कांड संख्या 229/2018, दिनांक–27.12.2018 अंतर्गत धारा 364(A)/34 भा0द0 वि0 के अधीन अभियुक्तगण विधि विवादित किशोर "एक्स" व हरेराम विंद के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान पश्चात इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्तगण विधि विवादित किशोर ''एक्स'', हरेराम विंद व अप्राथमिकी अभियुक्तगण नागेन्द्र कुमार पासवान, मुन्ना कुमार सिह के विरूद्ध अंतर्गत धारा 364(A), 302, 120(B)/34 भा0द0वि0 एवं 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम के विरूद्ध घटना सत्य पाकर आरोप पत्र संख्या 46/2019 दिनांक 25.03.2019 न्यायालय में समर्पित किया गया।

Web Copy Civil Court Jehanabad

4. इस मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 364(A), 302, 120(B)/34 भा0द0वि0 एवं 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम में अपराध का संज्ञान लिया गया।

5. इस मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण हरेराम विंद, मुन्ना कुमार सिह, व नागेन्द्र कुमार पासवान के विरूद्ध धारा 364(A)/34, 302/34,120(B) भा0द0वि0 एवं 3(2)(v) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम में आरोप विरचित किया गया। विरचित आरोप अभियुक्तगण को हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिस पर अभियुक्त –गण द्वारा आरोप से इंकार किया गया व विचारण की मॉग की गयी।

6. इस मामले में अभियोजन साक्षियों के परीक्षण के उपरांत, न्यायालय द्वारा धारा–313 दंड प्रकिया संहिता के अधीन उपरोक्त अभियुक्तगण का बयान अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अपने को निर्दोष बताया। बचाव पक्ष ने अपने समर्थन में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

7. प्रस्तुत वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है ?

<u>मंतव्य</u>

8. इस वाद में अभियोजन पक्ष ने कुल 12 साक्षियों यथा अभियोजन साक्षी संख्या 01. सतेन्द्र यादव, अभियोजन साक्षी संख्या 02. अजय कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 03. आरती देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 04. अमित कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 05. संजय कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 06. अशोक कुमार, अभियेाजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 08. डॉ0 सतीश कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 09. दिपक कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 10. पियुष कुमार जायसवाल, अभियोजन साक्षी संख्या 11.कृतनारायण कुमार सिन्हा व अभियोजन साक्षी संख्या 12. विनोद यादव को प्रस्तुत करके परीक्षित कराया है।

अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रदर्श अंकित कराया है:–

<u>प्रदर्श–P-1/PW4</u> - अभियोजन साक्षी संख्या 04. अमित कुमार द्वारा फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।

<u>प्रदर्श–P-2/PW5</u> - अभियोजन साक्षी संख्या 05. संजय कुमार द्वारा फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।

Web Copy, Civil Court Jehanabad.

प्रदर्श–P-3/PW6 - अभियोजन साक्षी संख्या 06. अशोक कुमार द्वारा तलाशी–सह–जप्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।

प्रदर्श–P-4/PW6 - अभियोजन साक्षी संख्या 06. अशोक कुमार द्वारा तलाशी–सह –जप्ती सूची पर रामविनय के हस्ताक्षर की पहचान की गई।

प्रदर्श–P-5/PW7 -अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार द्वारा सम्पूर्ण फर्दबयान को अपने लिखावट व हस्ताक्षर में होने की पहचान की गई।

प्रदर्श–P-6/PW7 - अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार द्वारा फर्दबयान के अग्रसारण को अपने लिखावट व हस्ताक्षर में होने की पहचान की गई।

प्रदर्श–P-7/PW7 - अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार द्वारा फर्दबयान पर पृष्ठांकन थानाध्यक्ष मनोज कुमार के लिखावट व हस्ताक्षर में होने की पहचान की गई।

प्रदर्श–P-8/PW7 - अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार द्वारा औपचारिक प्राथमिकी पर थानाअध्यक्ष मनोज कुमार के हस्ताक्षर की पहचान की गई।

प्रदर्श–P-9/PW7 - तलाशी– सह– जप्ती सूची।

प्रदर्श–P-10/PW7 - अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार द्वारा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।

प्रदर्श–P-11/PW7 - अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार द्वारा जप्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।

प्रदर्श–P-12/PW7 - अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार द्वारा स्वकारोक्ति बयान को मनोज कुमार थानाध्यक्ष कुर्था के लेख में होने की पहचान की गई।

प्रदर्श–P-13/PW8 - अभियोजन साक्षी संख्या 08. डॉ सतीश कुमार द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।

प्रदर्श–P-14/PW9 - अभियोजन साक्षी संख्या 09. दिपक कुमार द्वारा आरोप पत्र पर अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान की गई।

प्रदर्श–P-15/PW10 - मालखाना रजिस्ट्र के प्रविष्टी संख्या– 14/2018।

प्रदर्श–P-16/PW11 - अभियोजन साक्षी संख्या 11. कृतनारायण कुमार सिन्हा द्वारा जप्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।

प्रदर्श–P-17/PW11 - अभियोजन साक्षी संख्या 11. कृतनारायण कुमार सिन्हा द्वारा जप्ती सूची पर विनोद यादव के हस्ताक्षर की पहचान की गई।

Web Copy, Civil Court Jehanabad.

अभियोजन ने निम्नलिखित बस्तु प्रदर्शो पर प्रदर्श अंकित कराया है :–

वस्तु प्रदर्श–1/पी.डब्लू10 – कागज में रखी गई राख
वस्तु प्रदर्श–2/पी.डब्लू10 – आरीदार छोटा चाकू
वस्तु प्रदर्श–3/पी.डब्लू10 – जिओ कंपनी का मोवाईल
वस्तु प्रदर्श–4/पी.डब्लू10 – गोल्डेन कलर का सैमसंग का स्मार्ट फोन
वस्तु प्रदर्श–5/पी.डब्लू10 – लाल–काला रंग का हिरो ग्लैमर मोटरसाईकिल

9. अभियोजन साक्षी संख्या 01. सतेन्द्र यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना पौने पॉच साल पहले का है। दिनांक 24.12.2018 को मैं बधार घुमने के लिए गया था। घुमकर आ रहे थे तो देखा कि हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' कुछ पी रहे थे। मैं जाकर पुछा कि क्या हो रहा है, तो वे लोग बोले कि अपना काम से मतलब रखो। उसके बाद मैं अपना घर आ गया। दिनांक 25.12.2018 को मानीकपुर मेला में क्रिकेट मैच हो रहा था। मैं भी मैच देखने गए। अंकित कुमार, हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' साथ में घुम रहा था। कुछ देर के बाद मैं घर आ गया। दिनांक 26.12.2018 को पता चला कि अंकित कुमार, पिता–संजय कुमार का अपहरण हो गया है। दिनांक 27.12.2018 को पता चला कि उसका लाश बराबर पहाड़ पर मिला है। मैं लाश देखने गॉव के अन्य लोगो के साथ गया था। मैं लाश को देखा था। पुलिस भी वहॉ पर थी। पुलिस को दिए गए बयान में उपरोक्त सारी बात मैं बताया था। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त हरेराम विंद, को पहचानता हूँ, अन्य दो मुदालय को नहीं पहचानता हूँ।

इस साक्षी ने अभियुक्त नागेन्द्र पासवान की ओर से किए गए अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि नागेन्द्र पासवान मेरे ग्रामीण है। इस केस में नागेन्द्र पासवान शामील नही था।

इस साक्षी ने अभियुक्त मुन्ना कुमार के ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि नसीरना बस्ती मेरे गॉव से 03 किलोमीटर की दूरी पर है। मानीकपुर ओ0पी0 से नसीरना बस्ती एक किलोमीटर पड़ता है।

इस साक्षी ने अभियुक्त हरेराम विंद की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि हरेराम विंद और इस केस के सूचक के साथ पहले से कोई विवाद नही था। मुझे जानकारी नही है कि हरेराम विंद किसी और केस में मुदालय है या नही। मुझे जानकारी नही है कि हरेराम विंद कौन सा काम करता है। ऐसी बात नही है कि हरेराम विंद पलम्बर का काम करता है, तथा मैं यह बात जानबुझकर छिपा रहा हूँ। हरेराम विंद के घर के 20–25 घर के बाद मेरा घर है। गॉव में कौन क्या घटना करता है, और क्या घटना घटती है, इसकी जानकारी मुझे नही है। जब मैं बधार घुमने

Web Copy, Civil Court Jehanabad

गया था, उस समय मेरे साथ गॉव का कोई और आदमी नही था। घटना के संबध में आज तक गॉव बालो से मेरी बातचीत नही हुई है। मुझे हरेराम विंद से कोई बातचीत नही हुई है। क्रिकेट मैंच में कई स्थानीए गॉव के लोग आए हुए थे। कितनी लोगो की भीड़ थी, मैं गिनती नही कर पाया। कौन गॉव से कितना व्यक्ति आए हुए थे, मैं यह भी नही बता सकता। कौन गॉव से कौन कौन लोग आए हुए थे, मैं नही बता सकता। भीड़ मैं कौन किधर बैठा हुआ था, यह भी नही बता सकता। मैच जब चल रहा था, तब लोग मैच देख भी रहे थे और घुम भी रहे थे। उस बक्त कौन खिलाड़ी खेल रहा था, उसका नाम याद नही है। मैंच सेमीफाईनल था, या टुनामेंट था, या फाईनल था, मुझे जानकारी नही है। मेरे गॉव के बाजार से मानीकपुर मेला 50 मीटर , तथा मेरे घर से मानीकपुर मेला 200 मीटर की दूरी पर है। मेला में उस बक्त गॉव के काफी लोग थे, नाम याद नही है। इस केस के सूचक अंकित कुमार (मृतक) के पिता है। इस केस के सूचक संजय कुमार मुखीया चुनाव में खड़े हुए थे तथा चुनाव हार गए थे। मुखीया चुनाव में मैं किसी के पक्ष में नही था, लेकिन वोट दिया था। गॉव के लोग किसके पक्ष में थे, मुझे याद नही है। संजय कुमार मेरे गॉव के है। गॉव बाले संजय कुमार के पक्ष में थे, या विपक्ष में थे, मुझे जानकारी नही है। मुझे अपहरण की घटना के बारे में किसने बताया, मुझे याद नही है। लाश देखने के लिए बहुत लोग गए थे। कौन कौन लोग लाश देखने के लिए गए थे, मुझे याद नही है। ऐसी बात नही है कि मैं सूचक का पक्षधर हूँ, इसलिए न्यायालय के समक्ष झुठी गवाही दिया हूँ, तथा यह भी न्यायालय के समक्ष गलत बताया कि मेला देखने के क्रम में अंकित कुमार, हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के साथ घुम रहे थे।

10. अभियोजन साक्षी संख्या 02. अजय कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है दिनांक 25.12.2018 की घटना है। लगभग 10 बजे सुबह का समय था। उस समय मैं घर पर था। विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम मेरे घर अंकित कुमार को बुलाने के लिए आया। अंकित कुमार मेरा भतिजा था। मानीकपुर मेला में क्रिकेट मैच हो रहा था, वही देखने के लिए बुलाकर साथ में मोटरसाईकिल से ले गया। अंकित कुमार घर नही लौटा, जब खाना खाने का समय हुआ तब हमलोग खोजने के लिए मानिकपुर गए जहॉ क्रिकेट का मैच हो रहा था। मेला में तीनो में से कोई नही मिला। इस घटना के बारे में मौखीक सूचना थाना में भईया दिए थे। एकाद घंटा के बाद घर पर फोन आया। मेरे बड़े भतिजा अमित के मोवाईल पर फोन आया कि 20 लाख रूपया दिजिए नही तो अंकित कुमार को मार देंगे। उस समय हमलोग घबरा गए, दुबारा फोन एक–दो घंटा के बाद आया, फिर से 20 लाख रूपया की मॉग किए, मोवाईल का स्पीकर तेज करके आबाज सुने तो आबाज हरेराम और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' का पाया। उनलोगो ने धमकी दिया कि किसी को बताना नही। उसके बाद चुपचाप हमलोग घर में बैठ गए। दो दिन के बाद हमलोग बराबर पहाड़ पर पुलिस के साथ गए। गॉव के भी बहुत सारे लोग गए थे। वहॉ पर अंकित कुमार का

Web Copy, Civil Court Jehanabad

लाश मिला। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए अरवल ले गया था। आज न्यायालय में अभियुक्त हरेराम, नागेन्द्र और मुन्ना उपस्थित है ,जिन्हें मैं पहचानता हूँ। साक्षी हरेराम की पहचान अंकित कुमार को बुलाकर ले जाने बाले व्यक्ति के रूप में करते है। पुलिस में मेरा बयान हुआ था, उपरोक्त सारी बाते पुलिस को बताया था।

इस साक्षी ने अभियुक्त मुन्ना कुमार की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मुदालय मुन्ना मानिकपुर का ही है, इसलिए इसे पहचानता हूँ। मानीकपुर से कुर्था थाना 05 किलोमीटर की दूरी पर है।

इस साक्षी ने अभियुक्त हरेराम विंद की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मैं 2012 से टेम्पु चला रहा हूँ। मैं कुर्था से मानीकपुर तक टेम्पु चलाता हूँ। लगभग 07 बजे अमुमन सुबह में घर से निकल जाता हूँ। मैं सुबह दस बजे से पहले खाना खाने घर आ जाता हूँ। उसके बाद घर पर एक–दो घंटा रहता हूँ, उसके बाद फिर टेम्पु चलाने चला जाता हूँ। जिस समय मेरा भतिजा को बुलाकर ले गया था, उस समय वहॉ पर गॉव का आदमी था। पुनः कहते है, कि वहॉ पर गॉव का कोई आदमी नही था। मैनैं अंकित कुमार को ले जाने का विरोध नही किया था, क्योंकि वह उनलोगो के साथ खेलता था। मैं एंव मेरे परिवार के अन्य सदस्य मैच देखने नही गए थे। शुरू–शुरू लगभग एक बजे दिन से हमलोग भतिजा को खोजना शुरू कर दिए। जिस समय हमलोग मानीकपुर गए, उस समय क्रिकेट मैच समाप्त हो गया था। क्रिकेट के मैदान में कोई आदमी नही था। भतिजा को खोजने के क्रम में गॉव घर के लोगो से पुछा। नाम नही याद है। मैं अपने स्तर से भतिजा के लापता होने की सूचना पुलिस को नही दिया था। दो बजे फोन आया था। फोन आने के पहले कुछ पता नही चला। जिस मोवाईल नम्बर से फोन आया, उसका नम्बर नही बता सकता हूँ। मुझे आजतक पता नही चला कि मोवाईल नम्बर का मालिक कौन है, परन्तु आवाज विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम का था। मैं इस केस के संबध में पूर्व में Children Case 02/2019 में गवाही दिया है, जिसमें मैनैं इस बात को कहा था कि मोवाईल पर आबाज हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' का था। ऐसी बात नही है कि मैनैं पूर्व के बयान में न्यायालय में केवल विधि विवादित किशोर ''एक्स'' का ही आबाज , मोवाईल पर सुनने की बात बताया था, हरेराम विंद का नही, और आज पहली बार हरेराम विंद का नाम सिखाने के आधार पर लिया है। हमलोग तीन भाई है। हमलोग सभी साथ में है। घटना के दिन ही करीब चार बजे शाम को मेरा बयान पुलिस के समक्ष हुआ था। मृतक भतिजा का लाश मिलने पर गॉव के अधिकतर लोग लाश देखने गए थे। लगभग एक बस गए थे। कमलेश, तथा अन्य लोग गए थे, नाम याद नही है। जिस समय मेरा बयान हुआ था, उस समय मेरे अलावे किसी का बयान नही हुआ था। उस दिन के बाद से घटना के संबध में किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत नही हुई। ऐसी बात नही है कि जैसा मैनैं साक्ष्य दिया वैसी कोई घ ाटना नही घटी है, तथा न्यायालय के समक्ष झुठी गवाही दिया हूँ।

Web Copy, Civil Court Jehanabad

इस साक्षी ने नागेन्द्र पासवान की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि नागेन्द्र पासवान मेरे गॉव के है, इसलिए इन्हें पहचानता हूॅ। नागेन्द्र पासवान इस घटना में शामिल नही था।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 03. आरती देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना आज से पौने पॉच साल पहले का है। समय दस बजे दिन का था। उस समय मैं अपने घर पर थे। मैं, मेरे पति, मेरा बेटा अमित कुमार, मेरा बेटा सचिन कुमार, देवर– अजय कुमार, तथा मेरा बेटा– अंकित कुमार घर पर थे। हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' मेरे घर मोटरसाईकिल से आया और अंकित कुमार को कहा कि मानिकपुर मेला में मैच हो रहा है, चलो। मेरा बेटा को मोटरसाईकिल पर वैठा कर ले गए। लेट हो जाने पर अपनी पति से कही कि अंकित अभी लौटा नही है, उसके बाद मेरे पति और बेटा और देवर अंकित को देखने मेला में गए। मेला में न तो मेरा बेटा अंकित कुमार था, और न ही हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' था। वे लोग घर लौट गए। अगल बगल देखा तो कहीं भी अंकित कुमार नही मिला। हरेराम और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' भी नही मिला। पौनै तिन बजे के लगभग मेरा बड़ा लड़का अमित कुमार के मोवाईल पर फोन आया, फोन पर बोला गया कि अपने पिता से 20 लाख रूपया दिलाओ, नही तो अन्जाम बुरा होगा। इसके बाद मौखिक सूचना देने थाना गए। पुनः साढ़े चार बजे मोवाईल पर फोन आया,, मोवाईल का स्पीकर ऑन कर हमलोग सुनने लगे, फिर से कहा कि 20 लाख रूपया दो नही तो अंकित कुमार को जान से मार देंगे। मोवाईल पर आवाज हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' का था। थाना को नही बताने के लिए भी बोला। हमलोग डरे सहमे घर पर ही रह गए। मेरे पति तथा परिवार के लोग हरेराम और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के घर पर भी अंकित को खोजने गए थे, लेकिन वे लोग नही मिले थे। दो दिन के बाद पुलिस मुदालय को पकड़ लिया। मुदालय बताया कि अंकित कुमार को बराबर पहाड़ पर ले कर गए थे, और वहीं पर हत्या कर दिए है। बराबर पहाड़ी पर पुलिस के साथ मेरे परिवार के लोग, मेरा बेटा अमित कुमार, पति, देवर सभी लोग गए थे। वहॉ पर मेरा बेटा अंकित कुमार का लाश बरामद हुआ। आज जो मैं गवाही दे रही हूॅ, यही बात पुलिस को भी बताई थी। आज न्यायालय में हरेराम विंद, मुन्ना और नागेन्द्र उपस्थित है, जिसे मैं पहचानती हूॅ।

इस साक्षी ने अभियुक्त नागेन्द्र पासवान की तरफ से किए गए अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि नागेन्द्र पासवान गॉव के है, इसलिए इन्हें पहचानती हूॅ। नागेन्द्र पासवान मेरे घर पर नही गया था।

इस साक्षी ने अभियुक्त मुन्ना कुमार की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मानीकपुर ओ0पी0 से मेरा घर पॉच – छः घर के बाद है।

इस साक्षी ने अभियुक्त हरेराम विंद की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मेरे घर के आसपास कई लोगो का घर है। जितेन्द्र विश्वकर्मा, राजेन्द्र

Web Copy, Civil Court Jehanabad

विश्वकर्मा तथा अन्य लोगो का घर है। इनलोगो से मुझे कोई दुश्मनी नही है। जब मुदालयगण ने मेरा बेटा को बुलाकर ले गया था, उस समय अगल बगल के लोग उपस्थित नही थे। हरेराम विंद का मेरे परिवार से कोई दुश्मनी नही था। मुझे घटना के संबध में मोवाईल से किसी व्यक्ति से बातचीत नही हुई। खोजवीन करने मैं स्वयं नही गई थी, बल्कि मेरे परिवार के लोग खोजवीन करने गए थे। जब मेरा लड़का गायव था, इसकी सूचना घटना के दिन ही पुलिस को दी गई थी। यह सूचना मौखिक रूप से ही दिया गया था। लिखित रूप से घटना के संबध में दो दिन के बाद मेरे पति के द्वारा थाना मे आवेदन दिया गया था। ऐसी बात नही है कि मैं गलत कह रही हूॅ कि घटना के दिन ही अंकित कुमार के गायव होने की सूचना मौखिक रूप से दी गई थी। घटना के दिन, मुदालय मेरा बेटा को घर आकर ले गया, उसके बाद की घटना को मैं नही जानती हूॅ। पुलिस मुझसे घटना के संबध में दो दिन के बाद घर पर ही पुछताछ की थी। उसी दिन पुलिस मेरे पति, एंव अन्य परिवार से भी पुछताछ किया था। मेरे पति के बताने पर ही पुलिस घर पर आई थी। ऐसी बात नही है कि इस केस के सूचक मेरे पति है, तथा मृतक मेरा लड़का है, इसलिए न्यायालय के समक्ष यह गलत बताए है कि तथाकथित दिन को हरेराम विंद घर पर आकर, मोटरसाईकिल से मेरे बेटा को बुलाकर क्रिकेट मैच देखने के लिए ले गया। मैं सिर्फ साईन करती हूॅ। दस–बीस नम्बर पढ़ती हूॅ। मुदालय जिस मोटरसाईकिल से आया था, उसका नम्बर नही बता सकती हूॅ।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 04. अमित कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 25.12.2018 की घटना है। लगभग दस बजे दिन का समय था। उस समय मैं अपने घर पर था। मेरे पापा, चाचा, दादी, मम्मी और अंकित कुमार, सचिन कुमार भी घर पर थे। उस समय मेरे घर पर विधि विवादित किशोर "एक्स" और हरेराम विंद आए, और मेरा भाई अंकित कुमार को मैच देखने के लिए चलने को कहा। मैच मानिकपुर मेला में हो रहा था। विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम विंद मोटरसाईकिल से आया था। मेरा भाई को वे दोनो मोटरसाईकिल पर बैठा कर ले गए। काफी समय हो जाने के बाद मॉ ने पिताजी को कहा कि अंकित अभी तक घर नही आया है। मेरे पापा अंकित कुमार को मानीकपुर मेला में खोजने के लिए गए। चारो तरफ ढुंढा पर न तो अंकित कुमार मिला और न ही विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम विंद मिला। मेरे पापा विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के घर पर ढुंढने के लिए , वह घर पर नही था। फिर हरेराम विंद के घर पर गए, वे भी अपने घ ार पर नही था। उसके बाद मेरे पापा मानिकपुर थाना गए, और दरोगा जी को मौखिक सूचना दिया। मेरे पापा घर पर आकर बताए कि चारो तरफ ढुंढा लेकिन अंकित कुमार नही मिल रहा है, हरेराम और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' भी नही मिल रहे है। उसके बाद मेरे मोवाईल पर 2:49 मीनट पर फोन आया। मेरा मोवाईल का नम्बर 6203501749 है। विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम विंद का फोन

Web Copy Civil Court Jehanabad

था, उसने कहा कि तुम्हारा भाई मेरे पास है, अपने बाप से 20 लाख रूपया दिलबाओ। उसके बाद उसने फोन काट दिया। फिर लगभग साढ़े चार बजे विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम विंद का पुनः फोन आया। फोन पर धमकी दिया कि अगर पुलिस को बताओगे तो तुम्हारे भाई को मार देंगे। मोवाईल का स्पीकर ऑन था। विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम विंद का आवाज था। परिवार के लोग डरे सहमे थे, उसके बाद मेरे पापा थाना गए और सारी बात बताए। पुलिस विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम विंद को पकड़ी। पुछताछ के दौरान विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम विंद ने बताया कि अंकित कुमार को बराबर पहाड़ पर जान मार दिया हूँ, और उसके लाश को छिपा दिया हूँ। उसके बाद पुलिस हरेराम और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' को लेकर बराबर पहाड़ी पर गए। मेरे पापा, चाचा, मैं, तथा गॉव के भी लोग बराबर पहाड़ी पर गए थे। हरेराम और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के बताए अनुसार पुलिस उस जगह पर गई, जहॉ पर उन्होने लाश को छुपाया था, उसके बाद अंकित कुमार का लाश बरामद हुआ। मैं भी लाश को देखा था। हमारे पापा, चाचा और गॉव के लोग भी लाश को देखे थे। पुलिस लाश का फोटो बगैरह ली थी। अंकित कुमार का गला चाकू से कटा हुआ था, और पेट में भी चाकू मारा हुआ था। इसी घटना को लेकर मेरे पापा ने केस किया, देखकर फर्दबयान पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ। हस्ताक्षर को **प्रदर्श P-1/PW4** अंकित किया जाता है। उसके बाद विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम विंद के बताए अनुसार पुलिस ने चाकू भी पुल के पास से बरामद किया था। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण को पहचानता हूँ, जो मेरे गॉव के ही है।

इस साक्षी ने अभियुक्त नागेन्द्र पासवान की ओर से किए गए अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि नागेन्द्र पासवान को ग्रामीण होने के नाते पहचानता हूँ। नागेन्द्र पासवान घटना में शामिल नही था।

इस साक्षी ने अभियुक्त मुन्ना कुमार की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मानीकपुर ओ0पी0 से मेरा गॉव नजदीक ही है। मुन्ना कुमार से मुझे पूर्व से परिचय है, इसलिए इसे जानता पहचानता हूँ।

इस साक्षी ने अभियुक्त हरेराम विंद की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मृतक मेरा भाई थे। मुदालयगण का मेरे भाई से कोई दुश्मनी पहले से नही था। मैं क्रिकेट मैच देखने नही गया था। जब मेरा भाई लौटकर नही आया, उसे खोजने मेरे पिताजी गए थे, जहॉ पर मैच हो रहा था। मैं नही गया था। घटना को मैं अपने ऑखो से नही देखा था। मेरे मोवाईल पर जिस नम्बर से फोन आया था, वह नम्बर निकालकर पुलिस को दिया था। मैं अपने मोवाईल को अनुसंधान के क्रम में पुलिस को दिया था। पुलिस ने चेक किया था, फिर मोवाईल बापस कर दिया था। जिस समय मैं पुलिस को अपना मोवाईल दिया था, उस समय वहॉ पर गॉव के लोग नही थे। मेरे घर के अगल बगल में घनी आबादी है। रंजीत गुप्ता, रामजानी मिंया, राजेन्द्र विश्वकर्मा, का घर मेरे घर के अगल बगल में घर है। अगल – बगल बाले लोग जिनका नाम

Web copy, Civil Court Jehanabad

बताया है, वह गॉव में ही रहते है। इन लोगो से मुझे कोई दुश्मनी नही है। घटना के संबध में गॉव बाले से मेरी बातचीत नही हुई। घटना के दो दिन के बाद 27 तारिख को पुलिस मेरा बयान ली थी। मैं पुलिस को दिए गए बयान में बताया था कि फोन पर हरेराम विंद का आवाज था, और वह फिरौती मॉग रहा था। ऐसी बात नही है कि पुलिस के समक्ष बस यही बताया था कि फिरौती मॉगने बाला का आवाज विधि विवादित किशोर ''एक्स'' का ही था, और उसी ने फिरौती मॉगा था, तथा आज न्यायालय में पहली बार सिखाने के आधार पर इस तरह का बयान दिया है कि फोन पर आवाज हरेराम विंद का था। जब हमलागो को पता चला कि मेरा भाई का लाश बराबर पहाड़ी पर है, तो गॉव के बहुत सारे लोग वहॉ पर गए थे, जिनमें राजेन्द्र विश्वकर्मा, राहुल यादव, संजीत गुप्ता, कौशल शर्मा थे। ऐसी बात नही है कि जैसा मैनैं साक्ष्य दिया, उस तरह की कोई घटना नही घटी है, और मेरे पिता ने अभियुक्त हरेराम विंद के विरूद्ध गलत मुकदमा किया, और उसी आलोक में न्यायालय के समक्ष झुठी गवाही दिया हूँ।

13. अभियोजन साक्षी संख्या 05. संजय कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 25.12.2018 की घटना है। उस समय मैं अपने घर पर था। घर पर मेरे साथ मेरा बेटा अंकित कुमार, अमित कुमार, मेरी पत्नी, मेरा भाई अजय कुमार, और मेरी मॉ थी। हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' लगभग दस बजे सुबह में मेरे घर पर अंकित कुमार को बुलाने आया। वे लोग मानिकपुर में हो रहे क्रिकेट मैच को देखने के लिए चलने के लिए बोले। वे दोनो मोटरसाईकिल से आए थे। वे दोनो मेरे बेटा अंकित कुमार को मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले गए। काफी देर बाद मेरी पत्नी बोली कि अंकित कुमार अभी नही लौटा है, काफी देर हो गया है। तब मैं मानीकपुर जहॉ पर क्रिकेट मैच हो रहा था, वहॉ पर खोजने गया। 20–25 मीनट तक खोजते रहे पर वहॉ पर न तो अंकित कुमार मिला और न ही हरेराम विंद मिला और न ही विधि विवादित किशोर ''एक्स'' मिला। उसके बाद मैं हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के घर पर गए, पर बे लोग नही मिले। तब मैं मानीकपुर थाना में मौखिक रूप से बताया कि हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' मेरा बेटा अंकित को ले गए है, जो अभी तक घर बापस नही आए है। उसके बाद मैं अपने घर पर आया। और अपनी पत्नी को बताया कि अंकित नही मिला। उसके बाद 2 बजकर 49 मीनट पर मेरे बेटा अमित कुमार के मोवाईल पर फोन आया। वह फोन हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' का था। फोन पर मेरा बेटा से बोला कि अपने बाप से 20 लाख रूपया दिला दो नही तो अंकित को जान से मार देंगे। उसके बाद साढ़े चार बजे फोन आया, कि पुलिस को बताओगे तो अंकित को जान से मार देंगे। उसके बाद मैनैं अपने लड़का को जिस मोवाईल नम्बर से फोन आया था, उस नम्बर को लिखकर देने को कहा और वह नम्बर लेकर मानीकपुर थाना गया। उसके बाद बड़ा बाबू बोले की पता लगाते है। दिनांक 27.12.2018 को बड़ा बाबू साढ़े

Web Copy Civil Court Jehanabad

दस बजे के लगभग मेरे घर पर आए, और मेरा बयान लिए, घर पर ही बयान लिए। देखकर यह वही बयान है, जिसे पुलिस ने रिकोर्ड किया था, जिसे पढने के बाद मैंनें अपना हस्ताक्षर किया था, मैं अपने हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। हस्ताक्षर को **प्रदर्श P-2/PW5** अंकित किया जाता है। उसके बाद मुझे पुलिस ने थाना पर बुलबाया। पुलिस हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' को पकड़ चुकी थी। पुछताछ में दोनो ने बताया कि अंकित कुमार को मार कर बराबर पहाडी पर छिपा दिए है। उसके बाद पुलिस हरेराम विंद, विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हमलोग बराबर पहाड़ी पर गए। हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के बताए अनुसार अंकित कुमार का लाश बराबर पहाड़ के झाड़ी से बरामद किया गया। उसके बाद लाश का पोस्टमार्टम हुआ। आज न्यायालय में हरेराम विंद उपस्थित है, जो अंकित कुमार को घ ार से बुलाकर ले गया था, अन्य दो मुदालय नागेन्द्र कुमार और मुन्ना को भी पहचानता हूँ जो मेरे गॉव के है, और एक बगल के गॉव के है।

इस साक्षी ने अभियुक्त नागेन्द्र पासवान की तरफ से किए गए अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि नागेन्द्र पासवान मेरे ग्रामीण है, इसलिए इन्हें पहचानते है।

इस साक्षी ने अभियुक्त हरेराम विंद की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मुदालय लोग का मेरे बच्चा से कोई दुश्मनी नही था। मैं अपने लड़का को खोजने के क्रम में मैं क्रिकेट मैदान में गया था। मैं वहॉ पर किसी से पुछताछ नही किया था, खुद ही खोजा था। मेरे घर के अगल बगल में काफी लोगो का घर है। जिस समय मेरा बच्चा को बुलाकर ले गया था, उस समय अगल बगल के लोग मेरे घर में उपस्थित नही थे। अगल बगल के लोगो से मुझे कोई दुश्मनी नही है। मेरा गॉव कितने घर की बस्ती है, नही बता सकता हूँ। जिस समय मेरा लड़का को अभियुक्तगण ले जा रहा था, उस समय दिन था। लोग आ जा रहे थे। मेरे घर से 20–22 घर होकर ही क्रिकेट के मैदान पर जाया जाता है। उन 20–22 घर के लोगो से अपने बेटा के संबध में पुछताछ नही किया था। मेरे घर से 10–12 घर के बाद थाना है। घर से खोजने के लिए एक बजे निकले थे। 20–25 मीनट तक खोजे थे। पुलिस को सूचना घ ाटना के दिन ही दिए थे, कितने बजे दिए थे याद नही है। मेरे सामने ही पुलिस ने अभियुक्तो से पुछताछ किया था। अभियुक्तों के बयान पर मैं दस्तखत नही किया था। ऐसा मेरे पास कोई सबुत नही है जिससे यह प्रमाणित हो कि अभियुक्तों का बयान मेरे सामने लिया गया था। ऐसी बात नही है कि अभियुक्तों का बयान मेरे सामने नही हुआ था, और पहली बार आज सिखाने के आधार पर न्यायालय में यह बयान दिया है। मैं घटना के संबध में पुलिस को एक बार ही बयान दिया था। अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयान का तारिख और समय नही बता सकता हूँ। खोजने के क्रम में किसी व्यक्ति ने नही बताया कि मेरा बेटा को अभियुक्तों द्वारा ले जाते हुए देखे है। मैं स्वयं अभियुक्तों को मेरे बेटा को ले जाते हुए देखा था। जिस समय मैं हरेराम विंद के घर गए उस समय मेरे साथ गॉव का कोई व्यक्ति नही था। उस समय सिर्फ हरेराम का परिवार था, और कोई नही था। उसके घर के अगल बगल के लोगो से मुझे कोई बातचीत नही

Web Copy, Civil Court Jehanabad

हुई। ऐसी बात नही है कि मैं गलत कहा हूँ कि मैं खोजने के लिए हरेराम विंद के घर गया था। जिस नम्बर से मेरे बेटा के मोवाईल पर फोन आया था, वह नम्बर किसका है, यह आजतक पता नही चला पर आबाज हरेराम और विधि विवादित किशोर 'एक्स' की थी।

(To Court -जिस समय फोन आया था उस समय फोन का स्पीकर औन था, और मैनैं भी हरेराम और विधि विवादित किशोर "एक्स" की आवाज सुनी थी।) आबाज की रिकोर्डींग नही की गई थी। ऐसी बात नही है कि मैं गलत कह रहा हूँ , कि फोन पर अभियुक्तों का आवाज था। ऐसी बात नही है कि जैसा मैनैं कहा हूँ वेसी घटना नही घटी है, तथा शंका के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ और उसी आलोक में न्यायालय के समक्ष झुठी गवाही दिया हूँ। ऐसी बात नही है कि मेरे लड़का को हरेराम विंद घर से बुलाकर नही ले गया था।

इस साक्षी ने अभियुक्त मुन्ना कुमार की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मानीकपुर ओ0पी0 से नसरीना की दूरी एक दो किलोमीटर है। मुन्ना कुमार का नसरीना और मानीकपुर में आना जाना रहता है, इसलिए इसे पहचानता हूँ।

14. अभियोजन साक्षी संख्या 06. अशोक कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 27.12.2018 को मैं शकुराबाद बाजार में था। शकुराबाद बाजार में काफी भीड़ लगा हुआ था। भीड़ में मानीकपुर के थाना प्रभारी और कुर्था के थाना प्रभारी थे। ग्रामीण भी थे। वहाँ पर विधि विवादित किशोर "एक्स" और हरेराम विंद भी था। विधि विवादित किशोर "एक्स" के पास से जिओ मोवाईल बरामद हुआ था। हरेराम विंद के पास से एक सैमसंग का मोवाईल बरामद हुआ था। विधि विवादित किशोर "एक्स" के पास से एक ग्लेमर मोटरसाईकिल जो लाल और काला रंग का था, जप्त हुआ था। बरामद समानो का जप्ती सूची शकुराबाद में ही तैयार किया गया था। जप्ती सूची पर गवाह के रूप में मेरा और रामविनय का हस्ताक्षर है, जो मेरे सामने किया गया था। रामविनय मानिकपुर का रहने बाला है। दोनो हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। बर्तमान में रामविनय मर चुके है। दोनो हस्ताक्षर को क्रमशः **प्रदर्श P-3/PW6** और **प्रदर्श P-4/PW6** अंकित किया जाता है। जिसके पास से समान बरामद किया गया था, उनमें से एक हरेराम आज न्यायालय में उपस्थित है। अन्य एक अभियुक्त नागेन्द्र को भी पहचानता हूँ। (अभियुक्त मुन्ना को गवाह नही पहचानते है)

इस साक्षी ने अभियुक्त मुन्ना कुमार की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मानिकपुर से नसीरना की दूरी एक दो किलोमीटर है। नसीरना का मेन बाजार मानिकपुर है।

इस साक्षी ने अभियुक्त नागेन्द्र पासवान की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मानिकपुर के बगल में ही मेरा गॉव कोनी है। बगल के गॉव के रहने के कारण नागेन्द्र पासवान को पहचानता हूँ।

Web Copy, Civil Court Jehanabad.

इस साक्षी ने अभियुक्त हरेराम विंद की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि इस केस के सूचक मेरे कोई नही लगते है। जप्ती सूची में लिखी गई बातो की जानकारी मुझे है। बरामद मोवाईल और मोटरसाईकिल किसके नाम पर है, इसकी जानकारी मुझे नही है। जिस समय मैं शकुराबाद बाजार में था, उस समय वहॉ पर काफी भीड़ लग गई थी। कागज पत्र शकुराबाद में ही तैयार हुआ था। थाना पर नही। वहॉ पर 40–50 आदमी की भीड़ थी। उनलोगो में से किसी का नाम नही बता सकता हूॅ। ऐसी बात नही है कि जैसा मैनैं कहा, वैसा किसी तरह का समान का बरामदगी मेरे समक्ष नही हुई है, तथा न्यायालय के समक्ष आज गलत गवाही दिया हूॅ।

15. अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 27.12.2018 को मानीकपुर में थाना अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मैनै संजय कुमार का फर्दबयान लिया। इस फर्दबयान पर मेरा हस्ताक्षर है, देखकर मैं अपने फर्दबयान पर लिखावट और हस्ताक्षर को पहचानता हूॅ। संपूर्ण फर्दबयान को **प्रदर्श P-5/PW7** अंकित किया जाता है। फर्दबयान पर अग्रसारण का पृष्ठाकंन मेरे लिखावट एंव हस्ताक्षर में है, देखकर पहचानता हूॅ, इसे **प्रदर्श P-6/ PW7** अंकित किया जाता है। कुर्था थाना के थानाअध्यक्ष मनोज कुमार द्वारा इसे रजिस्ट्र्ड किया गया, देखकर यह पृष्ठाकंन उन्ही के लिखावट एंव हस्ताक्षर में है, पृष्ठाकंन को **प्रदर्श P-7/PW7** अंकित किया जाता है। औपचारिक प्राथमिकी थाना अध्यक्ष कुर्था मनोज कुमार के द्वारा भरा गया था, जिसपर उनका हस्ताक्षर भी है, देखकर पहचानता हूॅ, औपचारिक प्राथमिकी को **प्रदर्श P-8/PW7** अंकित किया जाता है। इस कांड का अनुसंधान का भार स्वयं ग्रहण किया। अनुसंधान भार ग्रहण करने के बाद मैनैं प्राथमिकी और फर्दबयान का अवलोकन किया। उसके बाद वादी का पुनः बयान लिया। उसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस कांड का घटनास्थल वादी का दो मंजीला छतदार मकान है, जो मानिकपुर में स्थित है। मकान का मुख्य दरबाजा पुरब की ओर गली में निकलता है। घटनास्थल के उत्तर में पीसीसी ग्रामीण गली, गली के बगल में किशोरी मिस्त्री और सिदेश्वर जी का छतेदार मकान, दक्षिण में मुमताज मिंया का पक्का मकान, पुरब में रंजीत प्रसाद का दो मंजीला मकान है, पश्चिम में लक्ष्मण साव का छतेदार मकान है। इसके बाद साक्षी–अमित कुमार और साक्षी आरती देवी का बयान लिया। मानीकपुर मेला पहुॅचकर आसपास के लोगो से पुछताछ किया। इस कांड में गुप्तचर के बताए अनुसार प्राथमिकी अभियुक्त हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' जो सुबह से शकुराबाद बाजार में देखे गए थे, सूचना पर सशस्त्र बल के साथ कुर्था थाना प्रस्थान किए, कुर्था थाना अध्यक्ष से कांड में सहयोग हेतु अनुरोध किया। उसके बाद मैं, कुर्था थाना अध्यक्ष और सशस्त्र बल के साथ शकुराबाद बाजार के लिए प्रस्थान किया। शकुराबाद बाजार पान के गुमटी के पास गुप्तचर के बताए अनुसार पॅहुचा, वहॉ पर एक ग्लेमर मोटरसाईकिल जिसका रजिस्टेशन न0 BR26L8727 के साथ दोनो अभियुक्त खडे पाए गए। पुलिस

Web Copy Civil Court Jehanabad

को देखते ही दोनो मोटरसाईकिल चालू किए और भागने का प्रयास किए, जिन्हें पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया। पकड़ाए व्यक्ति का तलाशी लिया गया। दो गवाह रामविनय यादव और अशोक कुमार के उपस्थिती में तलाशी लिया गया और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के पॉकेट से जिओ कंपनी का मोवाईल, जिसमें मोवाईल का नम्बर 6200703816 लगा हुआ था। हरेराम विंद के दाहिने पॉकेट से एक गोल्डेन कलर का J-7 स्मार्ट फोन जिसका नम्बर 6202671233 लगा हुआ बरामद किया गया। उक्त दोनो मोवाईल और मोटरसाईकिल का तलाशी सह जप्ती सूची बनाया गया। मनोज कुमार थाना अध्यक्ष कुर्था द्वारा जप्ती सूची बनाया गया था, जिसपर गवाह के रूप में रामविनय यादव और अशोक कुमार का हस्ताक्षर है, जप्ती सूची पर विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम विंद का भी हस्ताक्षर है, जिन्हें जप्ती सूची का कॉपी दी गई थी, देखकर मैं पहचानता हूँ। जप्ती सूची को **प्रदर्श P-9/PW7** अंकित किया जाता है। अभियुक्त विधि विवादित किशोर ''एक्स'' का स्वीकृति बयान थाना अध्यक्ष कुर्था मनोज कुमार के द्वारा रिकार्ड किया गया, जिसमें विधि विवादित किशोर ''एक्स'' ने हरेराम विंद के साथ जो योजना बनाया, उसके बारे में बताया। स्वीकृति बयान में विधि विवादित किशोर ''एक्स'' ने अपना अपना स्वीकार करते हुए बताया कि हरेराम विंद के साथ मिलकर अंकित कुमार को अपहरण कर बाईक से जहानाबाद बराबर पहाड़ी पर ले गए, वहाँ से अकिंत कुमार के भाई अमित कुमार के मोवाईल पर फोन कर 20 लाख रूपया की फिरौती मॉगी। फिरौती मॉगने के बाद वही पर अंकित कुमार का चाकु से गला रेत कर मारकर मार दिया, और लाश को बराबर पहाड़ी पर छिपा दिया। लौटने के क्रम में चॉड ग्राम के पास चाकु को वरगद के पेड़ के पास छुपा दिया। अभियुक्त के बताए अनुसार, मैं, थाना अध्यक्ष कुर्था और सशस्त्र बल अभियुक्त को साथ लेकर बराबर पहाड़ पर गए। अभियुक्त के निशानदेही पर शब बराबर की पहाड़ी जहानाबाद की झाड़ी में बेल के पेड़ के निचे से बरामद किया। वहॉ पर मृत्यू समिक्षा रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार किया गया। देखकर यह मृत्यू समिक्षा रिपोर्ट का कार्बन प्रति है, जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है, जिसपर मेरा हस्ताक्षर हैं, मृत्यू समिक्षा रिपोर्ट पर तत्कालिन थाना अध्यक्ष, बराबर थाना धनंजय कुमार सिंह का भी हस्ताक्षर है। मृत्यू समिक्षा रिपोर्ट दो गवाह मनोज कुमार और राहुल कुमार के समक्ष बनाया गया था, देखकर मैं पहचानता हूँ। मृत्यू समिक्षा रिपोर्ट को **प्रदर्श P-10/PW7** अंकित किया जाता है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा। अभियुक्त के बताए अनुसार विधि विवादित किशोर "एक्स" को लेकर चाड़ गॉव गए और अभियुक्त के बताए अनुसार अभियुक्त के निशानदेही पर बरगद के पेड़ के निचे से एक पीला रंग का पलास्टीक का बेट लगा स्टील का धारीदार चाकू जिसपर खुन जैसा कुछ पदार्थ लगा हुआ था, तथा कपड़ा का जला हुआ राख जैसा पदार्थ बरामद किया। जप्ती सूची मेरे द्वारा दो गवाहों दिपनारायण और विनोद कुमार के समक्ष तैयार किया गया, जिनलोगो ने भी जप्ती सूची पर हस्ताक्षर किया है, तथा जप्ती सूची का एक प्रति विधि विवादित किशोर ''एक्स'' को देकर उसका भी हस्ताक्षर जप्ती सूची पर लिया

Web Copy Civil Court Jehanabad

गया, देखकर मैं जप्ती सूची को पहचानता हूँ। इस जप्ती सूची को **प्रदर्श P-11/PW7** अंकित किया जाता है। विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के संस्विकृति बयान जिसके आधार पर लाश और चाकु की बरामद की गई, जो मनोज कुमार थाना अध्यक्ष कुर्था द्वारा रिकार्ड किया गया था, को देखकर पहचानता हूँ, इसे **प्रदर्श P-12/PW7** अंकित किया जाता है। दोनो अभियुक्तों को न्यायालय में अग्रसारीत किया और सफाई बयान लिया। इसके पश्चात स्वीकृति बयान में आए अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मुन्ना कुमार और नागेन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय में अग्रसारित किया। इसके पश्चात साक्षी अजय कुमार, सतेन्द्र यादव का बयान लिया। इस कांड के विधि विवादित किशोर ''एक्स'' का मोवाईल नम्बर 6200703816 और हरेराम विंद के मोवाईल नम्बर 6202671233 का सीडी0आर0 कैफ के लिए पुलिस अधिक्षक के तकनिकी शाखा में आवेदन भेजा। सीडी0आर0 कैफ अभियुक्तों को प्राप्त किया, जिसका उल्लेख मैनै कांड दैनिकी के पारा 96 में किया है। वादी द्वारा बताए अनुसार अपहरणकर्ताओं द्वारा दिनांक 25.12.2018 को मोवाईल नम्बर 9523933641 से सूचक के बड़ा लड़का अमित कुमार के मोवाईल नम्बर 6203501749 पर फोन करके 20 लाख रूपया फिरौती की मॉग विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम विंद के द्वारा किया गया, उक्त मोवाईल नम्बर 9523933641 का सीडीआर एंव टावर लाकेशन प्राप्त कर अवलोकन किया, जिसे ज्ञात हुआ कि दिनांक 25.12.2018 को अभियुक्तों के द्वारा वादी के लड़का अमित कुमार के मोवाईल नम्बर 6203501749 पर समय 14:49:22 फोन कर 20 लाख फिरौती की मॉग किया गया। कुल 39 सेंकण्ड बातचीत हुई। जिसका टावर लाकेशन मखपा मखदुमपुर जहानाबाद है। केस डायरी के पारा 97 में उक्त सी0डी0आर और टावर लाकेशन, के संबध में अंकित किया गया है। घटना के दिन विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम विंद के बीच में कई बात बातचीत हुई। घ टना के दिन 25.12.2018 को समय करीब 8 बजे सुबह से 12:40 बजे तक दोनो अभियुक्तो का मोवाईल का टावर लोकेशन मानीकपुर में है, तथा कुछ समय बाद 13:00 बजे कुर्था, बेनीपुर, शकुराबाद, मखदुमपुर जहानाबाद में है। मखदुमपुर जहानाबाद में ही बराबर की पहाड़ी हैं, जहॉ से मृतक अंकित कुमार का शव बरामद किया गया है। विधि विवादित किशोर "एक्स" एंव हरेराम विंद अपने सहयोगी के साथ दिनांक 25.12.2018 को समय करीब दस बजे मानीकपुर से अंकित कुमार का अपहरण कर कुर्था शकुराबाद के रास्ते ले जाकर मखदुमपुर बराबर पहाड़ी पर अंकित कुमार का हत्या कर शव को पहाड़ी में छिपा दिया और उसके पश्चात हरेराम और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' मानिकपुर आए। उसके बाद शब का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुआ। इसके बाद मेरा स्थानांतरण हो गया। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त हरेराम और नागेन्द्र न्यायालय में उपस्थित है, जिसे मैं पहचानता हूँ।

इस साक्षी ने अभियुक्त नागेन्द्र पासवान की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि प्राथमिकी में सूचक ने नागेन्द्र पासवान का नाम नही लिया है। सूचक ने अपने पुनः बयान में भी नागेन्द्र पासवान का नाम नही लिया है। अन्य साक्षीयों

Web Copy, Civil Court Jehanabad

ने भी अपने बयान में नागेन्द्र पासवान का नाम नही लिया। ऐसी बात नही है कि नागेन्द्र पासवान के विरूद्ध कुछ साक्ष्य न होते हुए भी उसके विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया। अभियुक्त नागेन्द्र पासवान मानीकपुर का रहने बाला है।

इस साक्षी ने अभियुक्त मुन्ना सिंह की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मुन्ना सिंह का घर नसिरना में है। नसिरना और मानिकपुर दोनो सटे गॉव है। अनुसंधान के क्रम में राहुल पासवान, विकाश पासवान, छोटु सिह, राहुल कुमार पिता– अनिल पासवान, ये लोग निदोर्ष पाए गए या नही, मैं नही बता सकता हूॅ। ये लोग का मोवाईल का लाकेशन मानिकपुर में था, और अनुसंधान में यह बात भी आई कि मुन्ना कुमार का मोवाईल लॉकेशन मानिकपुर में पाया गया। मुझे जानकारी नही है कि जिन अभियुक्तों का मोवाईल लाकेशन मानिकपुर घटना के समय पाया गया, उनलोगो के विरूद्ध अंतिम प्रपत्र समर्पित किया गया है। अनुसंधान के क्रम में जिन गवाहो का बयान अंकित किया है, उन लोगो ने मुन्ना सिंह का नाम नही लिया है। ऐसी बात नही है कि विना कुछ साक्ष्य के मुन्ना सिंह के विरूद्ध गलत आरोप पत्र समर्पित किया गया है, और यह भी कहना है कि अभियुक्त मुन्ना सिंह के पिता मानीकपुर पुलिस के विरूद्ध केस दर्ज किए थे, और उसी रंजीश के कारण अभियुक्त के विरूद्ध गलत आरोप पत्र समर्पित किया गया।

इस साक्षी ने अभियुक्त हरेराम विंद की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि अब तक लगभग 300 से उपर केसों का अनुसंधान कर चुका हूॅ। अनुसंधान प्रारंभ करने से पहले वादी के लिखित बयान या फर्दबयान का अवलोकन करता हूॅ। घटनास्थल का वर्णन करते है, जो भी सुसंगत तथ्य वहॉ पर मिलते है, उसका भी वर्णन करता हूॅ। इस केस में अनुसंधान के क्रम में मैनैं पारा– 3 में मात्र एक घटनास्थल का वर्णन किया है। इस केस में बरामद चाकू और कपड़ा मैनैं जॉच के लिए F.S.L नही भेजा। चाकु को 27.12.2018 को बरामद किया गया, और लाश को भी दिनांक 27.12.2018 को बरामद किया और अनुसंधान का भार मैनैं 20.02.2019 को सौपा। इस दौरान मैनैं चाकू की जॉच हेतु मैनैं कहीं भी कोई आवेदन नही दिया। जहॉ पर से लाश बरामद किया वहॉ से कोई अन्य कोई पोजीटीव मटेरियल बरामद नही किया। जिस स्थान से लाश और चाकू की बरामद की गई, उस स्थान को मैनैं घ टनास्थल के रूप में नही दिखाया है। घटनास्थल वादी के द्वारा बताया हुआ था। इस बात को मैनैं पारा 03 में लिखा है। जहॉ पर लाश बरामद हुआ उसका जगह का नजरी नक्शा नही बनाया। घटनास्थल के चौहद्दी बाले लोगो का मैनैं पुरे अनुसंधान में बयान नही लिया। केस डायरी के पारा 04 में अमित कुमार का बयान अंकित है, उसने अपने बयान में नही बताया था कि फिरौती मॉगने बाला का आवाज हरेराम विंद का था। बल्कि विधि विवादित किशोर ''एक्स'' का नाम बताया था। जब एक साथ संदेही अपराधकर्मी पकड़ाते है तो सभी का संस्वकृति बयान लिया जाता है। अभियुक्त हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' दोनो एक ही साथ पकड़ाए थे। मैनैं हरेराम विंद का संस्वकृति बयान नही लिया। हरेराम विंद का कब्जे से केवल मोवाईल

Web Copy, Civil Court Jehanabad

6202671233 बरामद किया गया था, जो उसी के नाम से रजिस्ट्र्ड था। इसके अलावे अन्य कोई आपत्तिजनक समान उसके पास से बरामद नही हुआ था। बराबर पहाड़ी, बराबर पर्यटक थाना के अंतर्गत है, तथा उसका टॉवर लाकेशन मानिकपुर से अलग है। हरेराम विंद का घर मानिकपुर थाना से 200–300 मिटर की दूरी पर है। हरेराम विंद का मोवाईल का टावर लाकेशन सुबह में मानिकपुर है, उसके बाद बदलते गया है। जहॉ पर लाश मिली वहॉ पर सीडीआर में हरेरराम विंद के मोवाईल का टावर लोकेशन नही मिला है लेकिन जहॉ पर चाकू बरामद हुआ वहॉ पर सी0डी0आर में हरेराम विंद का मोवाईल का टावर लाकेशन मिला है, जो शकुराबाद, जहानाबाद दिखाया गया है। शकुराबाद से जहानाबाद के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। एक टावर लाकेशन का रेंज क्या होता है, मुझे जानकारी नही है। जिस टावर लाकेशन का वर्णण मैनैं किया है, उसकी कैपैसीटी पावर क्या थी, यह मैनैं नही लिखा है। फिरौती की मॉग हरेराम विंद के मोवाईल से नही की गई। चाकु का मैनैं कोई टी0आई0पी0 नही कराया। विधि विवादित किशोर ''एक्स'' अपने संस्वकृति बयान में चाकू का विस्तृत वर्णन (Description) नही दिया है। जिस मोवाईल से फिरौती की मॉग की गई थी, उस मोवाईल का स्वामित्व के संबध में मैनैं पता लगाया। स्वामित्व के संबध में मैनैं आवेदन अपने वरीय पदाधिकारी को लिखा था, पर इसका वर्णन मैनैं कांड दैनिकी में नही किया है। ऐसी बात नही है कि मैं विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के संस्वकृति बयान में गलत ढंग से अभियुक्त को दर्शाया गया, जबकी सच्चाई है कि हरेराम विंद को कभी भी विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के साथ नही पकड़ा गया, बल्कि उनके घर से पकड़कर लाया गया, और यह गलत दर्शाया गया कि हरेराम विंद को विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के साथ गिरफ्तार किया गया, और टावर लोकेशन से भी हरेराम विंद का घटनास्थल , जहॉ से लाश बरामद हुई और चाकु बरामद किया गया, से कोई कनेक्शन नही पाया। ऐसी बात नही है कि मैनैं त्रुटीपूर्ण अनुसंधान किया और मुदई के मेल में आकर अभियुक्त को गलत ढंग से फॅसाया ।

16. अभियोजन साक्षी संख्या 08. डॉ0 सतीश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि

1. On 27-12-2018, I was posted as medical officer, Sadar Hospital Arwal. On that day I conducted the postmortem on the dead body of Ankit Kumar , aged about 14 years male, son of Sanjay Kumar , Village – Manikpur, P.S – Kurtha , Dist – Arwal .

On postmortem found the following-

(i) Ligature mark on the neck

(ii) fracture of cervical spine.

(iii) Bleeding from nose and mouth was present.

(iv) Abrasion on right foot. (lateral side)

Web Copy, Civil Court Jehanabad

(v) Abrasion at left hypochondrium region.
(vi) Rigor mortis was absent.
(vii) Blackening on both upper limbs Phalanges. (Distal end)
(viii) There was also a cut throat injury.
Opinion – Cause of death:- Cardio respiratory arrest due to strangulation with ligature later on hypolumic shock due to excessive bleeding from cut throat.
2. This report is prepared by me and bears my signatures I identify it. Postmortem report is marked as **Exhibit P-13/PW8 .**

Xxxx **Cross Examination on behalf of all accused persons** Xxxx

3. The commencement of rigor mortis and end depends upon environmental conditions and other incriminating circumstances.
4. Rigor mortis is helpful in determination of times since death.
5. I have not mentioned time since death in the postmortem report.
6. I have not mentioned the the name of the person who brought the dead body before me in the postmortem report.
7. At the time of conducting postmortem of the deceased no observer was present.
8. On perusal of entire Postmortem report it is not clear whether the injuries found on the body of the deceased was ante mortem or post mortem .
9. I have also not mentioned the identity of the deceased.
10. I have also not mentioned whether the ligature mark was partially or full.
11. I have also not mentioned the dimension of abrasion.
12. It is wrong to say that I have submitted collusive report.

Web Copy, Civil Court Jehanabad.

17. अभियोजन साक्षी संख्या 09. दिपक कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 21.02.2019 को मैं मानीकपुर थाना में थानाअध्यक्ष के रूप में पदस्थापित था। उस दिन मैं कुर्था थाना कांड संख्या 229/2018 का अनुसंधान का भार पूर्व के अनुसंधानकर्ता सह थानाअध्यक्ष अनील कुमार पासवान से ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद केस दैनीकी का अवलोकन किया। अवलोकन के पश्चात अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरवल का पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त किया। पर्यवेक्षण टिप्पणी में 10 विंदुओं पर निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसमें सभी अभियुक्तों का मोवाईल का टावर लोकेशन और जप्त मोटरसाईकिल के स्वामित्व का पता लगाना शामिल था। सभी अभियुक्तों का मोवाईल का टावर लोकेशन प्राप्त किया। सभी अभियुक्तों के मोवाईल

का टावर लोकेशन घटना के दिन बराबर पहाड़ी पर पाया गया। जिसका उल्लेख मैनैं कांड दैनिकी के पारा नम्बर 120 में किया है। अभियुक्त मुन्ना सिंह के मोवाईल 8434611057 का टावर लोकेशन दिनांक 25.12.2018 को नौ बजकर 07 मीनट 14 सेंकड से 18:17:55 तक मानीकपुर पाया गया। अन्य अभियुक्त बुधन पासवान, छोटु सिंह, राहुल पासवान का टावर लोकेशन घटना स्थल पर नही पाया। इसके पश्चात जप्त मोटरसाईकिल के स्वामित्व का पता लगाया, जिसका उल्लेख मैनैं कांड दैनिकी के पारा 128 में किया है। मोटरसाईकिल विधि विवादित किशोर ''एक्स'' की पत्नी सुनीता कुमारी के नाम से रजिस्ट्र्ड पाया गया। यह भी पाया कि जप्त मोटरसाईकिल में रजिस्टेश्न नम्बर BR 26 L 8727 का नम्बर पलेट लगा था जो किसी अन्य मोटरसाईकिल का रजिस्टेशन नम्बर है। मोटरसाईकिल का ओरिजनल रजिस्टेशन नम्बर BR26M2805 था, जिसे बदल कर दुसरा रजिस्ट्रेशन नम्बर लगाकर उपयोग किया जा रहा था। इसके बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार मुन्ना कुमार सिंह, विधि विवादित किशोर ''एक्स'', हरेराम विंद और नागेन्द्र पासवान के विरूद्ध धारा 364(A), 302, 120(B) I.P.C के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 46/19, दिनांक 25.03.2019 समर्पित किया। देखकर आरोप पत्र मेरे लिखावट एंव हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूँ। संपूर्ण आरोप पत्र को **प्रदर्श P-14/PW9** अंकित किया जाता है।

इस साक्षी ने अभियुक्तगण की ओर से किए गए अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वरीय पर्यवेक्षण टिप्पणी में दिए गए निर्देश के अनुसार मैनैं जप्त मोवाईल नम्बर 6200708816 एंव 6302671233 का सी0डी0आर0 और कैफ लाकेशन मैनैं प्राप्त नही किया। मानीकपुर ओ0पी0 एंव बराबर पहाड़ी जहानाबाद के आसपास का डम्प डाटा निकालकर उसका कोई विशलेषन मैनैं अनुसंधान के क्रम में नही किया। मैनै अपने अनुसंधान क्रम में जप्त चाकु को F.S.L Patna में भेजकर कोई रिपोर्ट प्राप्त नही किया। मैंनैं अपने अनुसंधान में न तो किसी चक्षुदर्शी गवाह का बयान लिया और न ही कोई परिस्थिती जन्य साक्ष्य ही पाया। ऐसी बात नही है कि मैनैं त्रुटीपूर्ण अनुसंधान किया है।

18. अभियोजन साक्षी संख्या 10. पियुष कुमार जायसवाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं अभी बर्तमान में मानीकपुर थाना मे प्रभारी के पद पर कार्यरत हूँ। कुर्था थाना कांड संख्या– 229/2018 में जप्त प्रदर्श को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए पी0पी0 साहब के द्वारा समन दिया गया था, उसी के आलोक में थाना के मालखाना प्रभारी दिपक कुमार के अबकाश मे रहने के कारण कांड में जप्त बस्तु प्रदर्श को मैं स्वयं न्यायालय लेकर आया हूँ, जो बिना सिल के है जो बॉधा हुआ है, इसपर कुर्था मानीकपुर थाना कांड संख्या 229/2018 दिनांक 27.12.2018 अंकित है। न्यायालय के समक्ष इसे खोला गया। पलास्टीक के पन्नी में कागज में मोडा हुआ यह राख है। दुसरी पन्नी में पिला रंग का पलास्टीक का बेट लगा हुआ आरीदार छोटा चाकू है, जिसपर खुन जैसा कुछ पदार्थ लगा हुआ है। कागज में लपेटे हुए राख

Web Copy, Civil Court Jehanabad

और चाकू को क्रमश बस्तु प्रदर्श MO-1 और MO-2 अंकित किया जाता है। तिसरी बस्तु जिओ कंपनी का एक मोवाईल है, जिसमें सीम लगा हुआ है जिसे बस्तु प्रदर्श MO-3 अंकित किया जाता है। चौथी बस्तु एक गोल्डेन कलर का सैमसंग का स्मार्ट फोन है, जिसमें दो सीम लगा हुआ है, जिसे बस्तु प्रदर्श MO-4 अंकित किया जाता है। सभी उपरोक्त प्रदर्शो पर (सिवाए चाकू के) Chindren Case No. 02/2019 में अंकित प्रदर्श संख्या भी लिखित है तथा A.D.J 1 का हस्ताक्षर भी है। एक लाल –काला रंग का हिरो ग्लैमर मोटरसाईकिल है, जिसका रजिस्ट्रैशन नम्बर BR26L8727 है। जिसे बस्तु प्रदर्श MO-5 अंकित किया जाता है। कुर्था थाना अंतर्गत मानीकपुर ओ0पी0 के मालाखाना का मूल रजिस्ट्र न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा हूँ, उस मालखाना रजिस्ट्र के अनुसार सभी बस्तु प्रदर्श मालाखाना रजिस्ट्र सिरीयल नम्बर 14/2018 में दर्ज है, इसे **प्रदर्श P-15/PW10** अंकित किया जाता है।

इस साक्षी ने अभियुक्तगण की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि जो भी जप्त प्रदर्श को आज न्यायालय में लाया हूँ, उसके बारे में मुझे व्यक्तिगत जानकारी नही है। जप्त बस्तु प्रदर्श सीलबंद अवस्था में नही लाया हूँ। जप्त प्रदर्श में थाना कांड संख्या के अलावा किसी न्यायायिक पदाधिकारी का हस्ताक्षर नही है। जप्त प्रदर्श चाकु मे जो खुन जैसा पदार्थ लगा हुआ है, वह जानबर का है या मनुष्य का है, नही बता सकता हूँ। मोवाईल जो मैनें न्यायालय में प्रस्तुत किया है, उसके कैफ और कॉल डिटेल के बारे में मुझे जानकारी नही है। ऐसी बात नही है कि जो भी बस्तु प्रदर्श न्यायालय के समक्ष लाया हूँ, वह इस कांड से संबधित नही है।

19. अभियोजन साक्षी संख्या 11. कृतनारायण कुमार सिन्हा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 27.12.2018 को मैं पुलिस के साथ चाउँ गॉव में गया था। मेरा भगिना का मर्डर हुआ था। पुलिस के साथ विधि विवादित किशोर "एक्स", हरेराम , और बहुत सारे लोग थे। पुलिस सबसे पहले बराबर पहाड़ी पर ले गई थी। वहॉ पर लाश मिला था। उसके बाद पुलिस विधि विवादित किशोर "एक्स" के बताए अनुसार चॉउ गॉव ले गई, जहॉ बरगद के पेड़ के पास एक पईन था, वहॉ झाड़ी भी था, वहॉ पर चाकू और जला हुआ कपड़ा मिला था। चाकू में पिला रंग का बेट लगा हुआ था और उसमें खुन लगा हुआ था। जप्ती सूची वहीं पर बनाया गया। जप्ती सूची पर मैं हस्ताक्षर बनाया था, देखकर मैं अपने हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। जप्ती सूची पर विनोद यादव का भी हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ। दोनो हस्ताक्षर को पहचानता हूँ, जिसे क्रमशः **प्रदर्श P-16/PW11** और **प्रदर्श P-17/PW11** अंकित किया जाता है।

इस साक्षी ने अभियुक्तगण की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि आज गवाही देने से पूर्व मेरा पहले भी गवाही न्यायालय में हुआ है। मैनें सही सही गवाही दी थी। उस गवाही में मैनें नही बोला था कि पुलिस के साथ विधि विवादित

Web Copy, Civil Court Jehanabad

किशोर ''एक्स'' और हरेराम विंद भी साथ में थे। पूर्व के गवाही में यह नही बताया था कि पुलिस सबसे पहले मुझे बराबर पहाड़ी ले गई। पूर्व के गवाही में यह बताया था कि बरामदगी के समय जला हुआ कपड़ा मिला। ऐसी बात नही है कि पूर्व के गवाही में जला हुआ कपड़ा मिलने की बात नही बताया था, तथा आज सिखाने पर पहली बार बोल रहा हूँ, कि जला हुआ कपड़ा मिला। अंधेरा रहने के कारण चाकू पर केवल पिला बेट दिख रहा था। जिस समय जप्ती सूची बना था, उस समय बहुत लोगो की भीड़ लग गई थी, कितने आदमी की भीड़ थी, मैं नही बता सकता हूँ। पुलिस मुझे घर से नही बुलाई थी। मृतक मेरा भगिना है। ऐसी बात नही है कि जैसा मैनैं बोला हूँ, वैसी कोई घटना नही घटी है, और चुंकि मृतक का मामा हूँ, इसलिए न्यायालय के समक्ष झुठी गवाही दिया हूँ। चाकू पर किस चिज का खुन था, नही बता सकता हूँ। जानबर का था, या किस चिज का था, मैं नही बता सकता हूँ।

20. अभियोजन साक्षी संख्या 12. विनोद यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 27.12.2018 को मैं बराबर पहाड़ पर गया था। मेरे साथ बहुत से आदमी थे। गॉव के एक लड़का का मर्डर हो गया था, इसी में गए थे। मेरे साथ विधि विवादित किशोर ''एक्स'', हरेराम तथा बहुत सारे गॉव के लोग थे। पुलिस भी साथ में थी। वहॉ पर लाश बरामद हुआ। गॉव के आदमी लोग खोजे, तब वहॉ पर बेल के पेड़ के निचे लाश था, पत्ता से ढका हुआ था। उसके बाद चाडॅ आए। हरेराम और विधि विवादित किशोर "एक्स" बताया कि चाकू चाडॅ में रखा है। उसी के बताए अनुसार चाडॅ आए, वहॉ स्टील का पिला बेट बाला चाकू और कपड़ा जला हुआ बर के पेड़ के निचे चॉड गॉव में मिला। चाकू में कुछ दाग जैसा तरल पदार्थ लगा हुआ था। चाकू और जला हुआ कपड़ा का जप्ती सूची वहीं पर बना, देखकर यह वही जप्ती सूची है, जिसपर मेरा हस्ताक्षर है, मेरे साथ कृतनारायण ने भी हस्ताक्षर किया था, जिसे मैं पहचानता हूँ। मैं अपने हस्ताक्षर को पहचानता हूँ, जो पूर्व से प्रदर्श **P-17/PW11** के रूप में अंकित है।

इस साक्षी ने अभियुक्तगण की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि जिस समय समान बरामदगी की बात बताया हूँ, उस समय शाम था। जहॉ से समान बरामदगी हुआ , उसकी चौहद्दी नही बता सकता हूँ। चाकू पर किस चिज का दाग था, मैं नही बता सकता हूँ। वहॉ पर अन्य लोगो का भी भीड़ लगा हुआ था, कितना लोग का भीड़ था, नही बता सकता हूँ। किसी का नाम भी नही बता सकता हूँ। जिस समय चाकू बरामद हुआ, उस समय अंचलाधिकारी वहॉ पर नही थे। केवल पुलिस की गाड़ी थी, और पुलिस थी। बरामद चाकू पर मैनैं कोई विशेष पहचान चिन्ह नही देखा। जला कपड़ा जिसके बारे में कहा है, वह राख था। इस केस के सूचक संजय कुमार मेरे गॉव के है, कोई रिश्तेदार नही लगते है। ऐसी बात नही है कि सूचक मेरे गॉव के है, इसलिए न्यायालय के समक्ष झुठी गवाही दिया, एंव किसी तरह का चाकू एंव अन्य

Web Copy, Civil Court Jehanabad.

आपत्तिजनक समान बरामद नही हुआ।

21. इस मामले में राज्य की ओर से विद्वान् प्रभारी विशेष लोक अभियोजक के द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि इस मामले को अभियोजन, संदेहों के परे स्थापित करने में सफल रहा है। अभियोजन ने अपने समर्थन में बारह साक्षियों को परीक्षित कराया है और उन साक्षियों के साक्ष्यों से अभियोजन कथानक पूर्णतः स्थापित हुआ है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त हरेराम बिन्द के द्वारा मृतक अंकित कुमार को मानिकपुर मेला में मैच दिखाने के लिए उसके घर से सूचक, सूचक की पत्नी आरती देवी, सूचक के पुत्र अमित कुमार तथा सूचक के भाई अजय कुमार की उपस्थिति में ले जाया गया। इन साक्षियों ने अपने साक्ष्यों में अभियुक्त के द्वारा अंकित कुमार को घर से ले जाने का समर्थन अपने साक्ष्यों में किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 01. सतेन्द्र यादव द्वारा अभियुक्त व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' को मृतक अंकित के साथ अंतिम बार मानिकपुर मेला में देखा गया था, जिससे अभियोजन यह स्थापित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त हरेराम बिन्द को अंतिम बार मृतक अंकित के साथ देखा गया था। अभियोजन अपने साक्षियों के साक्ष्यों से यह भी स्थापित करने में सफल रहा है कि घटना वाले दिन हीं अभियुक्त हरेराम विंद व विधि विवादित किशोर "एक्स" के द्वारा फोन पर फिरौती के रूप में बीस लाख रूपये की मांग की गई थी और फोन पर आवाज अभियुक्त हरेराम बिन्द की भी थी। बहस में आगे कहा गया कि विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के द्वारा पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति बयान दिया गया था, जिसमें उसने अभियुक्त हरेराम बिन्द के साथ मिलकर मृतक अंकित कुमार की हत्या करने तथा हत्या के पश्चात् लाश को बराबर पहाड़ी में छिपाने तथा चाकू को ग्राम चाड में बरगद के पेड़ के पास रखने का कथन किया है। अभियुक्त हरेराम बिन्द ने भी इस स्वीकारोक्ति बयान का समर्थन किया तथा विधि विवादित किशोर ''एक्स'' व अभियुक्त हरेराम बिन्द व स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में घटना स्थल से घटना में प्रयुक्त चाकू व जला हुआ कपड़ा बरामद हुआ, जिसकी साक्षियों की उपस्थिती में जप्ती सूची तैयार हुई, जो कि प्रदर्श P-11 है। बहस में उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जहॉ से मृतक की लाश बरामद हुई वहॉ पर अभियुक्त हरेराम बिन्द के मोबाईल का लोकेशन पाया गया। उनके द्वारा आगे यह भी कहा गया है कि घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल को अनुसंधान के क्रम में पाया गया है कि उसपर गलत प्लेट नम्बर लगाकर मोटरसाईकिल उपयोग की जा रही थी जो यह दर्शित कर रहा है कि अभियुक्त हरेराम विंद व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के द्वारा पहले से ही अपराध की योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया गया है। घ टना की समस्त परिस्थितियॉ अभियुक्त हरेराम बिन्द की अपराध में संलिप्तता को स्थापित करती है। उनके द्वारा बहस में यह भी कहा गया कि इस मामले में विधि विवादित किशोर ''एक्स'' का विचारण किशोर न्यायालय द्वारा किया गया है और उसमें वह दोषसिद्ध हुआ है। अभियुक्त हरेराम विंद के द्वारा विधि विवादित किशोर ''एक्स''

Web Copy, Civil Court Jehanabad

के साथ मिलकर उक्त घटना कारित की गई थी। अंत में उनके द्वारा विचारित अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

22. अभियुक्त हरेराम बिन्द की ओर से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का अपनी बहस में कहना है कि अभियोजन इस मामले को अभियुक्त हरेराम विंद के विरूद्ध साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। उनके द्वारा बहस में आगे कहा गया कि अभियोजन ने अपने समर्थन में बारह साक्षियों को परीक्षित कराया है, परन्तु उन साक्षियों के साक्ष्यों में गंभीर विरोधाभाष है, जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो गया है। उनके द्वारा कहा गया कि अभियोजन साक्षी संख्या 05. संजय कुमार, जो कि इस मामले का सूचक है, ने अपने साक्ष्य में घर से मानिकपुर मेला में अंकित को खोजने के लिए स्वयं जाना कहा है। इसी प्रकार, अभियोजन साक्षी संख्या 04. अमित कुमार ने भी अपने साक्ष्य में पापा अर्थात् सूचक को हीं खोजने के लिए घर से जाने का कथन किया है, जबकि अभियोजन साक्षी संख्या 03. आरती देवी, जो कि सूचक की पत्नी है, ने अपने साक्ष्य में पति, देवर और बेटा को मेला में खोजने के लिए जाने का कथन किया है। इसी प्रकार, अभियोजन साक्षी संख्या 02. अजय कुमार ने अपने साक्ष्य में भतीजा (अंकित) को खोजने का कथन किया है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि अभियोजन साक्षी संख्या 03. आरती देवी ने घटना के संबंध में लिखित आवेदन पति के द्वारा थाने पर देने का कथन अपने साक्ष्य में किया है, जबकि अभियोजन साक्षी संख्या 05. संजय कुमार ने अपने साक्ष्य में बड़ा बाबु के द्वारा घर पर आकर फर्दबयान लिए जाने का कथन किया है, जो विरोधाभाषों को दर्शित कर रहा है और इसका लाभ अभियुक्त हरेराम बिन्द को दिया जाना चाहिए। बहस में उनके द्वारा आगे कहा गया कि सूचक के फर्दबयान में फोन पर फिरौती मांगने वाले व्यक्ति के आवाज के रूप में सह अभियुक्त विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के नाम का उल्लेख है। फर्दबयान में अभियुक्त हरेराम बिन्द के द्वारा फोन पर फिरौती मांगने का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्यों में फोन पर हरेराम बिन्द की भी आवाज होने का कथन किया है। इस मामले का अनुसंधानकर्ता, जो कि अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार हैं, ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि अमित कुमार, जो कि अभियेाजन साक्षी संख्या 04 है, ने अपने बयान में नहीं बताया था कि फोन पर फिरौती मांगने वाले व्यक्ति की आवाज हरेराम बिन्द की थी, जो दर्शित करता है कि विचारण के स्तर पर अभियोजन साक्षियों के द्वारा अपने साक्ष्य को सुधारा गया है, ताकि अभियुक्त के विरूद्ध मामला बनाया जा सके, जो कि अभियोजन पर संदेह उत्पन्न करता है और इसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। बहस में आगे कहा गया कि अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार इस मामले का प्रथम अनुसंधानक है और उसने अपने साक्ष्य में जिस स्थान से लाश व चाकू का बरामद होना कहा है, उसका कोई नजरी नक्शा नहीं बनाया है, जिससे जिस स्थान पर लाश व चाकू का बरामद होना कहा है, वह स्थान स्थापित नहीं हो सका है। इससे यह भी

Web Copy, Civil Court Jehanabad

दर्शित होता है कि अनुसंधानकर्ता उक्त स्थानों पर नहीं गया था, क्योंकि अगर वह उक्त स्थानों पर गया होता तो उसके द्वारा उस स्थान का नजरी नक्शा बनाया गया होता। बहस में आगे कहा गया कि बरामद किए गए चाकू व कपड़ा को अनुसंधानकर्ता द्वारा जॉच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना नहीं भेजा गया जिससे यह स्थापित नही हो सका कि उक्त चाकू का प्रयोग घटना में किया गया था। इसी प्रकार, जले हुए कपड़े को जॉच हेतु नहीं भेजे जाने से यह स्थापित नहीं हुआ है कि बरामद कपड़ा मृतक से संबंधित था। बहस में आगे कहा गया कि जब इस मामले के विधि विवादित किशोर ''एक्स'' व हरेराम बिन्द दोनों एक साथ हीं पकड़े गए थे तो फिर हरेराम बिन्द का स्वीकारोक्ति बयान क्यों नहीं लिया गया, जो यह दर्शाता है कि अभियुक्त हरेराम बिन्द को बाद में उसके घर से पकड़ा गया और गिरफ्तारी को एक साथ दर्शा दिया गया। आगे कहा गया कि विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर बरामदगी हुई है, जबकि अभियुक्त हरेराम बिन्द का कोई स्वीकारोक्ति बयान नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त बरामदगी का अभियुक्त हरेराम बिन्द की निशानदेही पर होना नहीं कहा जा सकता है और उक्त बरामदगी को अभियुक्त के विरूद्ध स्थापित नहीं किया जा सकता है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि अभियोजन साक्षी संख्या 11. कृतनारायण कुमार सिंन्हा ने भी अपने साक्ष्य में हरेराम बिन्द का विधि ा विवादित किशोर ''एक्स'' के साथ नहीं होने का कथन किया, जो दर्शाता है कि अभियुक्त हरेराम विंद को विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के साथ नही पकड़ा गया था। बहस में आगे कहा गया कि अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने साक्ष्य में चाकू बरामदगी के स्थान पर हरेराम बिन्द के मोबाईल का टावर लॉकेशन मिलना कहा है, परन्तु टावर लॉकेशन का रेंज क्या होता है तथा जिस टावर लोकेशन का वर्णन उसने किया है, उसकी कैपेसीटी क्या है, इसकी जानकारी नहीं होना कहा है। इसी प्रकार, अनुसंधान में रेंज व कैपेसीटी को नहीं दर्शाया गया है, तो मात्र लोकेशन मिलने के आधार पर हीं अभियुक्त हरेराम बिन्द को दोषी नहीं माना जा सकता है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि अभियुक्त के पास से उसका मोबाईल बरामद हुआ था तथा जिस मोबाइल नंबर से फिरौती की मांग की गई थी, वह अभियुक्त हरेराम बिन्द का नहीं था तथा उक्त मोबाईल के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान नहीं किया गया। आगे कहा गया कि इस मामले का द्वितीय अनुसंधानकर्ता, जो कि अभियोजन साक्षी संख्या 09. दीपक कुमार है, ने अपने साक्ष्य में जप्त मोबाईल नंबर 6200708816 व मोबाईल नंबर 6302671233 का सी0डी0आर0 व कैफ लोकेशन प्राप्त नहीं करने का कथन किया है। इसी प्रकार मानिकपुर ओ0पी0 एंव बराबर पहाड़ी जहानाबाद के आसपास के डम्प डाटा निकालकर विश्लेषण नहीं करने का कथन किया है, जो अनुसंधान में त्रुटी को दर्शा रहा है। बहस में आगे कहा गया कि अभियोजन साक्षी संख्या 10. पीयुष कुमार जायसवाल के द्वारा जप्त प्रदर्श को विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, परंतु जप्त प्रदर्श सीलबंद अवस्था में प्रस्तुत नही किया गया जिससे उसमें छेड़छाड़ होने की

Web Copy, Civil Court Jehanabad

सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है। अन्त में उनके द्वारा अभियुक्त हरेराम विंद को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभियुक्तगण नागेन्द्र कुमार पासवान व मुन्ना कुमार सिंह उर्फ रवि रंजन की ओर से उनके विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा बहस के दौरान संयुक्त रूप से कहा गया कि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षीयों के साक्ष्यों से ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अपराध में उनकी संलिप्तता का होना दर्शित हो सके। अतः उनके द्वारा अभियुक्तगण नागेन्द्र कुमार पासवान व मुन्ना कुमार सिंह को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

परिशीलन(Discussion)

23. उभय पक्षों के तर्कों को सुना तथा अभिलेख व उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

24. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित नियम है कि अभियोजन पर यह प्राथमिक दायित्व होता है कि वह अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करें। इस मामले में अभियोजन, अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को साबित करने में कहां तक सफल रहा है इसके लिए अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्यों की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

25. प्रस्तुत मामले में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सम्यक परिशीलन से दर्शित होता है कि इस मामले में सूचक के पुत्र मृतक अंकित की हत्या का कोई प्रत्य क्षदर्शी साक्षी नहीं है। जब घटना के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हो तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य वह साक्ष्य है, जिसमें अपराध को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले कोई साक्षी नहीं होता, बल्कि ऐसे तथ्य एवं परिस्थितियॉ सिद्ध की जाती है, जिससे अपराध करने वाले की ओर तार्किक रूप से संकेत मिलता है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **उम्मेद भाई बनाम् स्टेट ऑफ गुजरात ए0आई0आर0 1978 एस0सी0 424** में विचार प्रकट किया है कि ''यह बात पूर्ववत से स्थापित है कि जब कोई मामला केवल परिस्थितियों के साक्ष्य पर निर्भर हो, तो यह आवश्यक है कि वह जो भी परिस्थितियॉ अभियोजन ने सामने लाया है, उनकी दिशा एकमात्र रूप से अभियुक्त को दोषी साबित करने की ओर होनी चाहिए और कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए जो अभियुक्त के दोषी होने से मेल न खाती हो। परिस्थितियों के साक्ष्य पर निर्भर होने वाले मामलों में भी न्यायालय को कुल परिस्थितियों का प्रभाव देखना होता है। परिस्थितियों की जंजीर की एक भी कड़ी टूट जाने पर अभियोजन की सारी बातें नष्ट हो सकती है।''

Web Copy, Civil Court, Jehanabad.

शारदा विरधीचन्द्र शारदा बनाम् स्टेट ऑफ महाराष्ट्र(1984) 4 एस0सी0सी0 116 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पारिस्थितिजन्य साक्ष्य के सम्बन्ध में पॉच स्वर्णिम सिद्धान्त प्रतिपादित किए है जो निम्नवत् हैः–

1. जिन परिस्थितियों पर अभियोजन निर्भर करता है वे पूर्णतः सिद्ध होनी चाहिए।
2. सिद्ध होने वाली परिस्थितियॉ केवल आरोपी के अपराधी होने की ओर ही संकेत करें।
3. परिस्थितियॉ निर्णायक प्रकृति की हो,
4. परिस्थितियॉ किसी अन्य निष्कर्ष को सम्भव न छोड़े,
5. परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण हो कि आरोपी के अतिरिक्त अन्य किसी की संलिप्तता की सम्भावना न बचें।

अब, अभियोजन द्वारा इस मामले में परीक्षित कराए गए साक्षियों के साक्ष्यों की समीक्षा से यह देखना है कि क्या साक्ष्यों से विचारित अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त नियम स्थापित हो पा रहे हैं, अथवा नहीं।

26. अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य समीक्षा के क्रम में सर्वप्रथम अभियोजन साक्षी संख्या 05. संजय कुमार के मुख्य परीक्षण में दिये गये साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूॅ कि यह साक्षी इस मामले का सूचक तथा मृतक अंकित का पिता है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया है। इस साक्षी के साक्ष्य के अनुसार, घटना तिथि 25.12.2018 को वह अपने घर पर था तथा घर पर उसका बेटा अंकित कुमार(मृतक), अमित कुमार, उसकी पत्नी, उसका भाई अजय कुमार, और उसकी मॉ थी। आगे साक्ष्य दिया है कि हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' लगभग दस बजे सुबह में उसके घर पर अंकित कुमार को बुलाने आया। वे लोग मानिकपुर में हो रहे क्रिकेट मैच को देखने के लिए चलने के लिए बोले। वे दोनों मोटर साईकिल से आए थे। वे दोनों उसका बेटा अंकित कुमार को मोटर साईकिल पर बैठाकर ले गए। जब काफी देर होने पर अंकित कुमार नहीं लौटा तब वह मानीकपुर जहॉ पर क्रिकेट मैच हो रहा था, वहॉ पर खोजने गया। 20–25 मिनट तक खोजने के बाद भी वहॉ पर न तो अंकित कुमार मिला और न ही हरेराम विंद मिला और न ही विधि विवादित किशोर ''एक्स'' मिला। उसके बाद वह हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के घर पर गए, पर बे लोग नही मिले। तब वह मानीकपुर थाना में मौखिक रूप से बताया कि हरेराम बिन्द और विधि विवादित किशोर "एक्स" उसका बेटा अंकित को ले गए है, जो अभी तक घर बापस नहीं आया है। आगे साक्ष्य दिया है कि उसके बाद 2 बजकर 49 मिनट पर उसका बेटा अमित कुमार के मोवाईल पर फोन आया। वह फोन हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' का था। फोन पर उसका बेटा से बोला कि अपने बाप से 20 लाख रूपया दिला दो नही तो अंकित को जान से मार देंगे। उसके बाद साढ़े चार बजे फोन आया,

Web Copy, Civil Court Jehanabad

कि पुलिस को बताओगे तो अंकित को जान से मार देंगे। उसके बाद उसने अपने लड़का को जिस मोवाईल नम्बर से फोन आया था, उस नम्बर को लिखकर देने को कहा और वह नम्बर लेकर मानीकपुर थाना गया। दिनांक 27.12.2018 को बड़ा बाबू साढ़े दस बजे के लगभग उसके घर पर आए और उसका बयान लिए। इस साक्षी ने फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर होना कहा है, जिसे अभियोजन ने प्रदर्श पी–2 के रूप में साबित कराया है। आगे साक्ष्य दिया है कि पुलिस हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' को पकड़ चुकी थी। पुछताछ में दोनों ने बताया कि अंकित कुमार को मार कर बराबर पहाड़ी पर छिपा दिए है। उसके बाद पुलिस हरेराम विंद, विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और ये लोग बराबर पहाड़ी पर गए। हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के बताए अनुसार अंकित कुमार का लाश बराबर पहाड़ के झाड़ी से बरामद किया गया। इस साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त हरेराम बिन्द को, अंकित कुमार को घर से बुलाकर ले जाने वाले के रूप में पहचानना कहा है। इस साक्षी ने अन्य दो मुदालय नागेन्द्र कुमार और मुन्ना को उसके गॉव के होने के नाते पहचानना कहा है।

इस साक्षी के अभियुक्त हरेराम बिन्द की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में किए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूँ कि इस साक्षी का मुख्य परीक्षण में दिया गया साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अक्षुण्ण रहा है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी स्वीकार किया है कि उसके सामने हीं पुलिस ने अभियुक्तों के पूछताछ किया तथा स्वयं उसने अभियुक्तों को बेटा को ले जाते हुए देखा था। जिस समय वह हरेराम विंद के घर गया, उस समय उसके साथ गॉव का कोई व्यक्ति नही था। उस समय सिर्फ हरेराम का परिवार था, और कोई नही था। उसके घर के अगल बगल के लोगो से उससे कोई बातचीत नही हुई।

इस साक्षी ने न्यायालय द्वारा प्रश्न किए जाने पर कथन किया है कि जिस समय फोन आया था उस समय फोन का स्पीकर ऑन था, और उसने भी हरेराम और विधि विवादित किशोर "एक्स" की आवाज सुनी थी।

इस साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इन्कार किया है कि कि फोन पर अभियुक्तों का आवाज नही था तथा जैसा उसने कहा है वैसी घटना नही घटी है, तथा शंका के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ और उसी के आलोक में न्यायालय के समक्ष झुठी गवाही दिया। इस साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसके लड़का को हरेराम विंद घर से बुलाकर नही ले गया था।

इस साक्षी के साक्ष्य की समग्र समीक्षा में पाता हूँ कि इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्थापित हो रहा है कि घटना तिथि को अभियुक्त हरेराम बिन्द, विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के साथ, इस साक्षी के घर पर आया था तथा इस साक्षी के पुत्र अंकित कुमार को मानिकपुर में हो रहे क्रिकेट मैच को देखने के लिए बुलाकर लेकर चला गया। जब इस साक्षी का लड़का नहीं आया तब यह साक्षी हरेराम के घर पर भी गया परन्तु वह वहॉ नही मिला। इस साक्षी के द्वारा इसकी सूचना थाने पर दी गई।

Web Copy, Civil Court Jehanabad

इसके बाद इस साक्षी के दूसरे लड़के अंकित कुमार के मोबाईल पर फोन आता है और उस फोन पर 20 लाख रूपया की मांग की गई तथा नहीं देने पर अंकित को जान से मारने की धमकी दी गई। इस साक्षी के द्वारा फोन पर हरेराम बिन्द की आवाज भी होना कहा गया है। इस साक्षी के साक्ष्य से यह भी स्थापित हो रहा है कि इस मामले के विचारित अभियुक्त हरेराम बिन्द व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' को पुलिस बराबर पहाड़ी पर लेकर गई और उनके बताए अनुसार, मृतक अंकित कुमार की लाश को झाड़ी में से बरामद किया गया।

इस साक्षी के साक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि मृतक अंकित कुमार का अपहरण इसलिए किया गया था ताकि उसके बदले पैसा प्राप्त किया जा सके, जो कि अपराध कारित किए जाने के हेतुक को दर्शा रहा है। इस साक्षी के साक्ष्य से घटना की परिस्थितियों की कड़िया यह दर्शित कर रहीं है कि अभियुक्त हरेराम बिन्द के द्वारा मृतक को घर से बुलाकर ले जाया गया और उसके बाद से मृतक का कुछ पता नहीं चला। जब मृतक का पिता अभियुक्त हरेराम बिन्द के घर गया तो वह वहॉ नहीं मिला तथा घटना वाले दिन हीं मोबाईल पर फोन करके रूपयों की मांग की गई और नहीं देने पर अंकित की हत्या करने की धमकी दी गई। फोन पर आवाज अभियुक्त हरेराम की हीं थी एवं अभियुक्त की निशानदेही पर हीं मृतक की लाश घटनास्थल से बरामद की गई। इस प्रकार, इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्त हरेराम बिन्द की घटना में संलिप्तता का होने के तथ्य का स्थापित होना पाता हूॅ।

जहॉ तक प्रश्न विचारित अन्य अभियुक्तगण नागेन्द्र कुमार पासवान व मुन्ना कुमार सिंह उर्फ रवि रंजन का है तो इस साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अपराध में उनकी संलिप्तता का होना दर्शित हो सके।

27. साक्ष्य समीक्षा के अग्रेत्तर क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या 03. आरती देवी के मुख्य परीक्षण में दिये गये साक्ष्य की समीक्षा में पाता हूॅ कि यह साक्षी मृतक की मॉ है और इस साक्षी ने अभियोजन साक्षी संख्या 05. संजय कुमार की तरह हीं अपने साक्ष्य में घटना का पूर्णतया समर्थन किया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि घटना के समय वह अपने घर पर थी। वह, उसके पति, उसका बेटा अमित कुमार, उसका बेटा सचिन कुमार, देवर–अजय कुमार, तथा उसका बेटा अंकित कुमार घर पर थे। आगे कथन किया है कि हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' उसके घर मोटरसाईकिल से आया और अंकित कुमार को कहा कि मानिकपुर मेला में मैच हो रहा है, चलो। उसका बेटा को मोटरसाईकिल पर वैठा कर ले गए। लेट हो जाने पर वह अपने पति से कही कि अंकित अभी लौटा नही है, उसके बाद उसके पति, बेटा और देवर अंकित को देखने मेला में गए। मेला में न तो उसका बेटा अंकित कुमार था, और न ही हरेराम विंद व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' था। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि पौनै तीन बजे के लगभग उसका बड़ा लड़का अमित कुमार के मोवाईल पर फोन आया, फोन पर बोला गया कि अपने पिता से 20

Web copy, Civil Court Jehanabad

लाख रूपया दिलाओ, नही तो अन्जाम बुरा होगा। इसके बाद मौखिक सूचना देने थाना गए। पुनः साढ़े चार बजे मोवाईल पर फोन आया, मोवाईल का स्पीकर ऑन कर वे लोग सुनने लगे, फिर से कहा कि 20 लाख रूपया दो नही तो अंकित कुमार को जान से मार देंगे। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि मोवाईल पर आवाज हरेराम बिन्द और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' का था। थाना को नहीं बताने के लिए भी बोला। उसके पति तथा परिवार के लोग अभियुक्त हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के घर पर भी अंकित को खोजने गए थे, लेकिन वे लोग नही मिले थे। दो दिन के बाद पुलिस मुदालय को पकड़ लिया। मुदालय बताया कि अंकित कुमार को बराबर पहाड़ पर ले कर गए थे और वहीं पर हत्या कर दिए है। बराबर पहाड़ी पर पुलिस के साथ उसके परिवार के लोग, उसके बेटा अमित कुमार, पति, देवर सभी लोग गए थे। वहॉ पर उसका बेटा अंकित कुमार को लाश बरामद हुआ।

इस साक्षी के अभियुक्त हरेराम विंद की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूॅ कि इस साक्षी का मुख्य परीक्षण में दिया गया साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अकाट्य रहा है। इस साक्षी ने कथन किया है कि हरेराम विंद का उसके परिवार से कोई दुश्मनी नही था। उसे घटना के संबध में मोवाईल से किसी व्यक्ति से बातचीत नही हुई। खोजवीन करने वह स्वयं नहीं गई थी, बल्कि उसके परिवार के लोग खोजवीन करने गए थे। जब उसका लड़का गायव था, उसकी सूचना घटना के दिन ही पुलिस को दी गई थी। यह सूचना मौखिक रूप से ही दिया गया था। लिखित रूप से घटना के संबध में दो दिन के बाद उसके पति के द्वारा थाना मे आवेदन दिया गया था। घटना के दिन, मुदालय उसका बेटा को घर आकर ले गया, उसके बाद की घटना को वह नहीं जानती है।

इस साक्षी के साक्ष्य की समग्र समीक्षा में पाता हूॅ कि इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्थापित हो रहा है कि घटना वाले दिन अभियुक्त हरेराम बिन्द व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' द्वारा उसके बेटे अंकित कुमार को घर से बुलाकर ले जाया गया था तथा वापस नहीं आने पर जब उसकी खोजबीन की गई तो उसका कहीं पर पता नहीं चला। यह भी दर्शित होता है कि अभियुक्त द्वारा 20 लाख रूपयों की मांग की गई तथा नहीं दिए जाने पर अंकित को जान से मारने की धमकी दी गई। इस साक्षी ने भी फोन पर अभियुक्त हरेराम विंद की आवाज का होना कहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि जब इस साक्षी के परिवार के लोग अभियुक्त हरेराम विंद के घर पर खोजबीन करने गए तो अभियुक्त घर पर नहीं मिला था। इस साक्षी ने भी अभियुक्त हरेराम विंद के बताए अनुसार, मृतक अंकित की लाश मिलने का कथन किया है। इस प्रकार, इस साक्षी के साक्ष्य से भी परिस्थितियों की कडियों से अभियुक्त हरेराम बिन्द की अपराध में संलिप्तता होने का तथ्य स्थापित हो रहा है।

इस साक्षी के साक्ष्य की समग्र समीक्षा से विचारित अन्य सह अभियुक्तगण

Web Copy, Civil Court Jehanabad

नागेन्द्र कुमार पासवान व मुन्ना कुमार सिंह उर्फ रवि रंजन की घटना में संलिप्तता होने के संबंध में किसी साक्ष्य का होना नहीं पाता हूँ।

28. साक्ष्य समीक्षा के अग्रेत्तर क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या 04. अमित कुमार के मुख्य परीक्षण में दिये गये साक्ष्य की समीक्षा में पाता हूँ कि यह साक्षी इस मामले के मृतक अंकित का भाई है तथा इस साक्षी ने भी अपने साक्ष्य में अभियोजन साक्षी संख्या 05 संजय कुमार व अभियोजन साक्षी संख्या 03 आरती देवी की तरह घटना का पूर्ण समर्थन किया है तथा कथन किया है कि दिनांक 25.12.2018 की घटना है। लगभग दस बजे दिन का समय था। उस समय वह अपने घर पर था। उसके पापा, चाचा, दादी, मम्मी और अंकित कुमार, सचिन कुमार भी घर पर थे। आगे कथन किया है कि उस समय उसके घर पर विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम विंद आए और उसका भाई अंकित कुमार को मैच देखने के लिए चलने को कहा। मैच मानिकपुर मेला में हो रहा था। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम विंद मोटरसाईकिल से आया था। उसका भाई को वे दोनो मोटरसाईकिल पर बैठा कर ले गए। काफी समय हो जाने के बाद मॉ ने पिताजी को कहा कि अंकित अभी तक घर नही आया है, तब उसके पापा अंकित कुमार को मानीकपुर मेला में खोजने के लिए गए। चारो तरफ ढुंढा पर न तो अंकित कुमार मिला और न ही विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम विंद मिला। आगे कथन किया है कि उसके पापा विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के घर पर ढुंढने के लिए गए पर वह घर पर नहीं था। फिर हरेराम विंद के घर पर गए, वह भी अपने घर पर नही था। उसके बाद उसके पापा मानिकपुर थाना गए, और दरोगा जी को मौखिक सूचना दिए। उसके पापा घर पर आकर बताए कि चारो तरफ ढुंढा लेकिन अंकित कुमार नही मिल रहा है, हरेराम और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' भी नही मिल रहे है। इस साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य में आगे कथन किया गया है कि उसके बाद उसके मोवाईल पर 02:49 मिनट पर फोन आया। उसका मोवाईल का नम्बर 6203501749 है। विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम विंद का फोन था, उसने कहा कि तुम्हारा भाई उसके पास है, अपने बाप से 20 लाख रूपया दिलबाओ। उसके बाद उसने फोन काट दिया। फिर लगभग साढ़े चार बजे विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम विंद का पुनः फोन आया। फोन पर धमकी दिया कि अगर पुलिस को बताओगे तो उसके भाई को मार देंगे। मोवाईल का स्पीकर ऑन था। विधि विवादित किशोर "एक्स" और हरेराम विंद का आवाज था। परिवार के लोग डरे सहमे थे, उसके बाद उसके पापा थाना गए और सारी बात बताए। आगे कथन किया है कि पुलिस विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम विंद को पकड़ी। पुछताछ के दौरान विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम विंद ने बताया कि अंकित कुमार को बराबर पहाड़ पर जान मार दिया है और उसके लाश को छिपा दिया हैं। उसके बाद पुलिस हरेराम और विधि

Web Copy, Civil Court Jehanabad

विवादित किशोर ''एक्स'' को लेकर बराबर पहाड़ी पर गए। उसके पापा, चाचा, वह, तथा गॉव के भी लोग बराबर पहाड़ी पर गए थे। हरेराम और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के बताए अनुसार पुलिस उस जगह पर गई, जहॉ पर उन्होने लाश को छुपाया था, उसके बाद अंकित कुमार का लाश बरामद हुआ। वह भी लाश को देखा था। उसके पापा, चाचा और गॉव के लोग भी लाश को देखे थे। पुलिस लाश का फोटो बगैरह ली थी। अंकित कुमार का गला चाकू से कटा हुआ था और पेट में भी चाकू मारा हुआ था। इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि उसके बाद विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम विंद के बताए अनुसार पुलिस ने चाकू भी पुल के पास से बरामद किया था। इस साक्षी ने घटना को लेकर उसके पापा के द्वारा केस करना तथा फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर भी होना कहा है, जिसे अभियोजन ने प्रदर्श पी–1 के रूप में साबित कराया है।

इस साक्षी का अभियुक्त हरेराम विंद की ओर से बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूॅ कि प्रतिपरीक्षण में ऐसी कोई तात्विक विसंगतियॉ नहीं आयी है, जिससे अभियुक्त हरेराम विंद की निर्दोषिता का तथ्य स्थापित हो सके। इस साक्षी के साक्ष्य से दर्शित होता है कि घटना की कड़ियों का अभियुक्त हरेराम बिन्द के साथ पूर्णतया जुड़ी हुई है तथा घटना की कड़ियॉ किसी भी बिन्दु पर एक दुसरे से विखंडित होना दर्शित नहीं हो रहा है, जिससे घटना में अभियुक्त हरेराम बिन्द की संलीप्तता स्थापित हो रही है।

यह भी उल्लेखनीय है कि इस साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जो विचारित अन्य अभियुक्तगण नागेन्द्र कुमार पासवान व मुन्ना कुमार सिंह उर्फ रवि रंजन की घटना में संलिप्तता को स्थापित कर सके।

29. साक्ष्य समीक्षा के अग्रिम क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या 02. अजय कुमार के मुख्य परीक्षण में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूॅ कि यह साक्षी मृतक का चाचा है तथा इस साक्षी ने भी, अभियोजन साक्षी संख्या 03. आरती देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 04. अमित कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 05. संजय कुमार के साक्ष्य के तरह हीं अपने साक्ष्य में घटना का पूर्णतः समर्थन किया है तथा कथन किया है कि दिनांक 25.12.2018 की घटना है। लगभग 10 बजे सुबह का समय था। उस समय वह घर पर था। विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम उसके घर अंकित कुमार को बुलाने के लिए आया। मानीकपुर मेला में क्रिकेट मैच हो रहा था, वही देखने के लिए बुलाकर साथ में मोटरसाईकिल से ले गया। आगे कथन किया है कि अंकित कुमार घर नही लौटा, जब खाना खाने का समय हुआ तब वे लोग खोजने के लिए मानिकपुर गए जहॉ क्रिकेट का मैच हो रहा था। मेला में तीनों में से कोई नहीं मिला। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि इस घटना के बारे में मौखीक सूचना थाना में भईया दिए थे। एकाध घंटा के बाद घर पर फोन आया । उसके बड़े भतिजा अमित

Web Copy Civil Court Jehanabad.

के मोवाईल पर फोन आया कि 20 लाख रूपया दिजिए नही तो अंकित कुमार को मार देंगे। उस समय वे लोग घबरा गए, दुबारा फोन एक–दो घंटा के बाद आया, फिर से 20 लाख रूपया की मॉग किए, मोवाईल का स्पीकर तेज करके आबाज सुने तो आबाज हरेराम और विधि विवादित किशोर "एक्स" का पाया। उनलोगो ने धमकी दिया कि किसी को बताना नही। उसके बाद चुपचाप वे लोग घर में बैठ गए। दो दिन के बाद वे लोग बराबर पहाड़ पर पुलिस के साथ गए। गॉव के भी बहुत सारे लोग गए थे। वहॉ पर अंकित कुमार का लाश मिला। इस साक्षी ने न्यायालय में अभियुक्त हरेराम की पहचान अंकित कुमार को बुलाकर ले जाने वाले व्यक्ति के रूप में की है।

इस साक्षी का अभियुक्त हरेराम की ओर से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया जिसमें उसने स्वीकार किया है कि उसने अंकित कुमार को ले जाने का विरोध नही किया था, क्योंकि वह उनलोगो के साथ खेलता था। वह एंव उसके परिवार के अन्य सदस्य मैच देखने नही गए थे। आगे कथन किया है कि दो बजे फोन आया था। फोन आने के पहले कुछ पता नही चला। जिस मोवाईल नम्बर से फोन आया, उसका नम्बर नही बता सकता हूॅ। उसे आजतक पता नही चला कि मोवाईल नम्बर का मालिक कौन है, परन्तु आवाज विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम का था। वह इस केस के संबध में पूर्व में चिल्ड्रेन केस 02/2019 में गवाही दिया है, जिसमें उसने इस बात को कहा था कि मोवाईल पर आबाज हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर "एक्स" की थी। इस साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने पूर्व के बयान में न्यायालय में केवल विधि विवादित किशोर ''एक्स'' का ही आबाज, मोवाईल पर सुनने की बात बताया था, हरेराम विंद का नही, और आज पहली बार हरेराम विंद का नाम सिखाने के आधार पर लिया है।

इस साक्षी के साक्ष्य की समग्र समीक्षा से दर्शित होता है कि इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन किया है। बचाव पक्ष के द्वारा इस साक्षी का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु ऐसा कोई तथ्य नही आया है कि जिससे उसका मुख्य परीक्षण में दिया गया साक्ष्य विखंडित हो सके। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्त हरेराम बिन्द की अपराध में संलिप्तता स्थापित हुई है।

जहॉ तक प्रश्न अभियुक्तगण नागेन्द्र पासवान व मुन्ना कुमार सिंह की अपराध में संलिप्पता का है तो, इस साक्षी के साक्ष्य में इन अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्पता के संबध में कोई साक्ष्य नही आया है।

30. अब तक के साक्ष्य परिशीलन से यह स्थापित होता है कि अभियुक्त हरेराम बिन्द व विधि विवादित किशोर "एक्स" घटना वाली तिथि को मृतक अंकित कुमार के घर पर आए थे, तथा उसे अपने साथ मानिकपुर मेला में मैच दिखाने के नाम पर ले गए थे।

Web Copy, Civil Court Jehanabad

मानिकपुर मेला में अंतिम बार अंकित को अभियुक्त हरेराम बिन्द के साथ किसी के द्वारा देखा गया था अथवा नहीं तो इस सम्बन्ध में अभियोजन द्वरा परीक्षित कराए गए अभियोजन साक्षी संख्या 01. सतेन्द्र यादव के साक्ष्य की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

अभियोजन साक्षी संख्या 01. सतेन्द्र यादव के मुख्य परीक्षण में दिये गये साक्ष्य की समीक्षा में पाता हूँ कि इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 25.12.2018 को मानीकपुर मेला में क्रिकेट मैच हो रहा था। वह भी मैच देखने गया। अंकित कुमार, हरेराम विंद और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के साथ में घुम रहा था। कुछ देर के बाद वह घर आ गया। दिनांक 26.12.2018 को पता चला कि अंकित कुमार का अपहरण हो गया है। दिनांक 27.12.2018 को पता चला कि उसका लाश बराबर पहाड़ पर मिला है। वह लाश देखने गॉव के अन्य लोगो के साथ गया था। उसने लाश को देखा था। पुलिस भी वहॉ पर थी। पुलिस को दिए गए बयान में उपरोक्त सारी बात उसनें बताया था।

इस साक्षी का अभियुक्त हरेराम विंद की ओर से बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है, परन्तु उसमें कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे इस साक्षी का मुख्य परीक्षण में दिया गया साक्ष्य का संदेहास्पद अथवा अविश्वसनीय होना दर्शित हो सके।

इस साक्षी के साक्ष्य की समग्र समीक्षा में पाता हूँ कि यह साक्षी इस मामले का महत्वपूर्ण साक्षी है और अंतिम बार मृतक अंकित को अभियुक्त हरेराम विंद के साथ मानिकपुर मेला में, इस साक्षी के द्वारा हीं देखा गया था।

मानिकपुर मेला में मैच देखने के लिए हीं अभियुक्त हरेराम बिन्द मृतक अंकित कुमार को उसके घर से बुलाकर ले गया था। उसके बाद से मृतक अंकित कुमार व अभियुक्त हरेराम बिन्द का पता नहीं चला तथा जब अभियुक्त हरेराम बिन्द व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' पकड़ाया तब उनकी निशानदेही पर मृतक की लाश बरामद हुई। इस साक्षी के साक्ष्य से मृतक अंकित कुमार को अभियुक्त हरेराम बिन्द के साथ अंतिम बार देखे जाने का तथ्य स्थापित हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन यह स्थापित करने में सफल रहा है कि मृतक अंकित कुमार को अभियुक्त हरेराम बिन्द व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' मानिकपुर मेला में मैच दिखाने के लिए उसके घर से बुला कर ले गए थे। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन यह स्थापित करने में सफल रहा है कि अंकित कुमार को अंतिम बार मानिकपुर मेला में अभियुक्त हरेराम बिन्द और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के साथ देखा गया था।

यहॉ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 का उल्लेख किया जाना समीचिन प्रतीत होता है। धारा 106 विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने के भार के संबंध में प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार, जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।

Web Copy, Civil Court Jehanabad

अर्थात् इस धारा के अनुसार, जब कोई तथ्य ऐसी प्रकृति का है कि वह विशेष रूप से किसी विशिष्ट व्यक्ति की जानकारी में हीं हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसा तथ्य साबित करना होता है। अभियुक्त हरेराम बिन्द के द्वारा इस संबंध में अपना कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया कि जब वह अंकित कुमार को लेकर गया तो फिर उसके बाद अंकित कुमार के साथ क्या हुआ। ऐसी स्थिति में अभियुक्त हरेराम बिन्द के द्वारा इस घटना को कारित किए जाने के संबंध में उसके विरूद्ध निष्कर्ष निकालने का पर्याप्त औचित्य का होना दर्शित हो रहा है।

इस साक्षी के साक्ष्य से विचारित अन्य अभियुक्तगण नागेन्द्र पासवान और मुन्ना के विरूद्ध उनकी अपराध में संलिप्तता के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आया है।

31. साक्ष्य समीक्षा के क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या 06. अशोक कुमार के मुख्य परीक्षण में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूँ कि यह साक्षी तलाशी सह जप्ती सूची का स्वतंत्र साक्षी है, तथा इस साक्षी के समक्ष दिनांक 27.12.2018 को शकुराबाद बाजार में अभियुक्त हरेराम विंद व विधि विवादित किशोर "एक्स" के पास से तलाशी में मोवाईल बरामद हुआ था, इसी प्रकार विधि विवादित किशोर "एक्स" के पास से ग्लैमर मोटरसाईकिल लाल और काला रंग का जप्त हुआ था। इस साक्षी ने जप्ती सूची को शकुराबाद में ही तैयार करना तथा उसपर अपना व रामविनय का हस्ताक्षर होना कहा है, जिसे अभियोजन ने प्रदर्श– पी–3 व पी–4 के रूप में साबित कराया है।

अभियुक्त हरेराम विंद की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नही आया है जिससे इस साक्षी की विश्वसनीयता खंडीत हो सके।

इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्त नागेन्द्र पासवान व मुन्ना कुमार की अपराध में संलिप्पता के संबध में कोई साक्ष्य नही आया है।

32. साक्ष्य समीक्षा के अग्रेत्तर क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार के मुख्य परीक्षण में दिये गये साक्ष्य की समीक्षा में पाता हूँ कि यह साक्षी इस मामले का प्रथम अनुसंधानक तथा महत्वपूर्ण साक्षी है। इस साक्षी के द्वारा इस मामले के सूचक संजय कुमार का फर्दबयान लिया गया, जिसे अभियोजन ने प्रदर्श पी–5 के रूप में तथा इस साक्षी के द्वारा फर्दबयान पर किए गए पृष्ठांकन को प्रदर्श पी–6 के रूप में साबित कराया है। इस साक्षी के द्वारा वादी का मकान जो कि प्रथम घ टनास्थल है, का निरीक्षण किया गया। इस कांड का घटनास्थल वादी का दो मंजीला छतदार मकान है, जो मानिकपुर में स्थित है। मकान का मुख्य दरबाजा पुरब की ओर गली में निकलता है। घटनास्थल के उत्तर में पीसीसी ग्रामीण गली, गली के बगल में किशोरी मिस्त्री और सिदेश्वर जी का छतेदार मकान, दक्षिण में मुमताज मिंया का पक्का मकान, पुरब में रंजीत प्रसाद का दो मंजीला मकान है, पश्चिम में लक्ष्मण साव

Web Copy, Civil Court Jehanabad

का छतेदार मकान है। इस साक्षी के द्वारा इस मामले के नामित अभियुक्तगण हरेराम विंद तथा विधि विवादित किशोर ''एक्स'' को गिरफ्तार किया गया था, तथा स्वतंत्र गवाहों के मौजुदगी में उनकी तलाशी ली गई। तलाशी सह जप्ती सूची को अभियोजन ने प्रदर्श पी–9 के रूप में साबित कराया है। इस साक्षी के साक्ष्य के अनुसार, इस मामले के विधि विवादित किशोर "एक्स" का स्वीकारोक्ति बयान थानाध्यक्ष कुर्था द्वारा लिखा गया जिसे अभियोजन ने पी–12 के रूप में साबित कराया है। इस साक्षी के साक्ष्य के अनुसार, विधि विवादित किशोर "एक्स" ने अपने स्वाकारोक्ती बयान में हरेराम विंद के साथ योजना बनाना बताया था और कहा था कि हरेराम विंद के साथ मिलकर अंकित कुमार को अपहरण कर बाईक से जहानाबाद बराबर पहाड़ी पर ले गए, वहॉ से अकिंत कुमार के भाई अमित कुमार के मोवाईल पर फोन कर 20 लाख रूपया की फिरौती मॉगी। फिरौती मॉगने के बाद वही पर अंकित कुमार का चाकु से गला रेत कर मारकर मार दिया, और लाश को बराबर पहाड़ी पर छिपा दिए। लौटने के क्रम में चॉड ग्राम के पास चाकु को वरगद के पेड़ के पास छुपा दिया। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में आगे कथन किया है कि अभियुक्त के बताए अनुसार, वह, थाना अध्यक्ष कुर्था और सशस्त्र बल व अभियुक्त को साथ लेकर बराबर पहाड़ पर गए। अभियुक्त के निशानदेही पर शब बराबर की पहाड़ी की झाड़ी में बेल के पेड़ के निचे से बरामद किया। वहॉ पर मृत्यू समिक्षा रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार किया गया। मृत्यु समिक्षा रिपोर्ट को अभियोजन ने प्रदर्श पी–10 के रूप में साबित कराया है। आगे साक्ष्य दिया है कि विधि विवादित किशोर ''एक्स'' की निशानदेही पर चाड गॉव में बरगद के पेड़ के निचे से एक पीला रंग का प्लास्टिक का बेट लगा स्टील का धारीदार चाकू जिसपर खुन जैसा कुछ पदार्थ लगा हुआ था, तथा कपड़ा का जला हुआ राख जैसा पदार्थ बरामद किया। इस साक्षी ने बरामद चाकू व राख के संबध में जप्ती सूची को दो गवाहों के समक्ष तैयार करना कहा है, इस जप्ती सूची को अभियोजन ने प्रदर्श पी–11 के रूप में साबित कराया है। इस साक्षी ने आगे साक्ष्य दिया है कि इस कांड के विधि विवादित किशोर ''एक्स'' का मोबाईल 6200708816 और अभियुक्त हरेराम बिन्द का मोबाईल नंबर 6202671233 का सी0डी0आर कैप के लिए पुलिस अधीक्षक के तकनीकी शाखा में आवेदन भेजा जिसका उल्लेख उसने कांड दैनिकी के पारा 96 में किया है। आगे साक्ष्य दिया है कि वादी द्वारा बताए अनुसार अपहरणकर्ताओं द्वारा दिनांक 25.12.2018 को मोवाईल नम्बर 9523933641 से सूचक के बड़ा लड़का अमित कुमार के मोवाईल नम्बर 6203501749 पर फोन करके 20 लाख रूपया फिरौती की मॉग विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम बिन्द के द्वारा किया गया, उक्त मोवाईल नम्बर 9523933641 का सीडीआर एंव टावर लाकेशन प्राप्त कर अवलोकन किया, जिससे ज्ञात हुआ कि दिनांक 25.12.2018 को अभियुक्तों के द्वारा वादी के लड़का अमित कुमार के मोवाईल नम्बर 6203501749 पर समय 14:49:22 फोन कर 20 लाख फिरौती की मॉग किया गया।

Web Copy, Civil Court, Jehanabad.

कुल 39 सेंकण्ड बातचीत हुई। जिसका टावर लाकेशन मखपा मखदुमपुर जहानाबाद है। इस साक्षी ने आगे साक्ष्य दिया है कि घटना के दिन विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और अभियुक्त हरेराम विंद के बीच में कई बार बातचीत हुई। घटना के दिन 25.12.2018 को समय करीब 8 बजे सुबह से 12:40 बजे तक दोनो अभियुक्तो का मोवाईल का टावर लोकेशन मानीकपुर में है, तथा कुछ समय बाद 13:00 बजे कुर्था, बेनीपुर, शकुराबाद, मखदुमपुर जहानाबाद में है। मखदुमपुर जहानाबाद में ही बराबर की पहाड़ी हैं, जहॉ से मृतक अंकित कुमार का शव बरामद किया गया है। आगे कथन किया है कि विधि विवादित किशोर ''एक्स'' एंव अभियुक्त हरेराम विंद अपने सहयोगी के साथ दिनांक 25.12.2018 को समय करीब दस बजे मानीकपुर से अंकित कुमार का अपहरण कर कुर्था शकुराबाद के रास्ते ले जाकर मखदुमपुर बराबर पहाड़ी पर अंकित कुमार का हत्या कर शव को पहाड़ी में छिपा दिया और उसके पश्चात अभियुक्त हरेराम और विधि विवादित किशोर ''एक्स'' मानिकपुर आए।

इस साक्षी के साक्ष्य से दर्शित होता है कि विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के स्वीकारोक्ति बयान पर घटना में प्रयुक्त चाकू व मृतक अंकित की लाश बरामद हुई। यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त हरेराम की गिरफ्तारी विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के साथ हीं हुई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में विधि विवादित किशोर ''एक्स'' का हीं स्वीकारोक्ति बयान लिया गया है। इस संबंध में कांड दैनिकी के कण्डिका 24 के परिशीलन से दर्शित होता है कि उसमें यह उल्लेखित है कि विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति बयान का समर्थन अभियुक्त हरेराम के द्वारा भी किया गया है।

यहॉ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 का उल्लेख किया जाना समीचिन प्रतीत होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26, पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरूद्ध साबित न किए जाने के संबंध में प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार, कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय कि हो, जब वह पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध साबित न की जाएगी, जबतक की वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 इसका अपवाद प्रस्तुत करती है। यह धारा अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी, के संबंध में प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार, परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस अधिकारी के अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी चाहे, वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतद् द्वारा, पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सके।

प्रस्तुत मामले में विधि विवादित किशोर ''एक्स'' का हीं संस्वीकृति बयान लिया गया है। कांड दैनिकी के पारा 24 के परिशीलन से दर्शित होता है कि विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति बयान का समर्थन अभियुक्त हरेराम

Web Copy Civil Court Jehanabad

बिन्द ने भी किया है। ऐसी स्थिति में स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस घटना में प्रयुक्त चाकू व कपड़ा के जले हुए राख की बरामदगी इस मामले में विचारित अभियुक्त हरेराम बिन्द के विरूद्ध भी साबित की जा सकेगी।

अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षी संख्या 11. कृतनारायण कुमार सिंन्हा व अभियोजन साक्षी संख्या 12. विनोद यादव के साक्ष्यों के परिशीलन से दर्शित होता है कि यह दोनों साक्षी जप्ती सूची प्रदर्श पी–11 के साक्षी है तथा उन्होंने अपने साक्ष्यों में विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के साथ अभियुक्त हरेराम विंद को भी घटना में प्रयुक्त चाकू व जले हुए कपड़ा को अपने समक्ष बरामद करवाने का कथन किया है। इन साक्षीयों ने जप्ती सूची पर अपना अपना हस्ताक्षर करने का कथन किया है, जिसे अभियोजन ने प्रदर्श पी–16 व पी–17 के रूप में साबित कराया है। जप्ती सूची प्रदर्श पी–11 के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रदर्श पी–11 में जप्त प्रदर्श के विवरण के रूप में एक पीला रंग का प्लास्टिक का बेट लगा हुआ स्टील का आरीदार छोटा चाकू जिसके आरीदार धार पर खुन जैसा पदार्थ लगा हुआ है, तथा कपड़े का जला हुआ राख जैसा पदार्थ का उल्लेख किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि बरामद चाकू व राख को अभियोजन साक्षी संख्या 10. पियूष कुमार जायसवाल, जो कि मानिकपुर थाना में प्रभारी के पद पर कार्यरत थे, के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे अभियोजन ने क्रमशः एम0ओ0–1 व एम0ओ0–2 के रूप में साबित कराया है। इसके अतिरिक्त तलाशी सह जप्ती में जप्त जीओ कंपनी के मोवाईल व सैमसंग के स्मार्ट फोन को भी इस साक्षी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे अभियोजन ने एम0ओ0–3 व एम0ओ0–4 के रूप में साबित कराया है। इस साक्षी के द्वारा थाने का मालखाना का रजिस्टर भी प्रस्तुत किया गया और उस मालखाना रजिस्टर के क्रमांक संख्या– 14/2018 में उन सभी वस्तुओं का उल्लेख दर्ज होने का कथन किया है। अभियोजन ने मालखाना रजिस्ट्र की उक्त प्रविष्टी को प्रदर्श पी–15 के रूप में साबित कराया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से अभियुक्त हरेराम की इस मामले में संलिप्तता का तथ्य स्थापित हो रहा है तथा घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी घटना की समस्त कड़ियों को आपस में एक दुसरे से जोड़ते हुए उसे पूर्णता प्रदान कर रही है। इस प्रकार, घटना की समस्त परिस्थितियॉ अभियुक्त हरेराम बिन्द के विरूद्ध उसकी अपराध में संलिप्तता संदेहों से परे साबित कर रही है। बचाव पक्ष के द्वारा इस साक्षी का व जप्ती सूची के साक्षी, अभियोजन साक्षी संख्या 11. कृतनारायण कुमार व अभियोजन साक्षी संख्या 12. विनोद कुमार का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया, परन्तु ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे जप्ती सूची के साक्षीयों की विश्वसनीयता खंडीत हो सके अथवा जप्ती सूची प्रदर्श पी–11 का संदेहास्पद होना स्थापित हो सके।

इन साक्षियों के साक्ष्यों के परिशीलन से यह भी दर्शित होता है कि अनुसंधान के क्रम में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आ सका है जिससे कि अभियुक्तगण नागेन्द्र

Web Copy, Civil Court Jehanabad

पासवान व मुन्ना कुमार की अपराध में उनकी संलिप्तता होने का तथ्य स्थापित हो सके।

33. साक्ष्य समीक्षा के क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या 08. डॉ0 सतीश कुमार के मुख्य परीक्षण में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूँ कि इस साक्षी के द्वारा मृतक अंकित कुमार का पोस्टमार्टम किया गया था और उनके द्वारा परीक्षण में निम्न पाया गयाः–

1. गर्दन पर लिगेचर मार्क,
2. सर्वाईकल स्पाइन में फ्रेक्चर,
3. नाक एवं मूँह से रक्त स्त्राव था,
4. दायॉ पैर (बाहरी भाग पर) एब्रेजन
5. बाएँ हाईपोकार्डीयो क्षेत्र में एब्रेजन
6. राइगर मोर्टिस अनुपस्थित,
7. दोनों उपरी अंगूलियों के अंतिम हिस्से पर कालापन
8. गले पर कटे होने की चोट।

इस साक्षी के द्वारा मृतक अंकित की मृत्यु का कारण गला दबाने से कार्डियो रेस्पेरेटरी अरेस्ट का होना व गला कटने की वजह से अत्याधिक रक्त स्त्राव होने के कारण हाईपोल्यूमिक शॉक हुआ, जिसके कारण से मृत्यु का होना उल्लेखित किया है। अभियोजन ने पोस्टमार्टम रिर्पोट को प्रदर्श पी–13 के रूप में साबित कराया है।

इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे प्रदर्श–13 की विश्वनीयता खंडित हो सके।

34. साक्ष्य समीक्षा के अंतिम क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या 09. दिपक कुमार के मुख्य परीक्षण में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूँ कि यह साक्षी इस मामले का अनुसंधानकर्ता है और उसके द्वारा पूर्व के अनुसंधानकर्ता से इस मामले का अनुसंधान भार ग्रहण किया गया था। इस साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य में कथन किया गया है कि उसके द्वारा जप्त मोटरसाईकिल के स्वामित्व का पता लगाया, जिसका उल्लेख उसने कांड दैनिकी के पारा 128 में किया है। मोटरसाईकिल विधि विवादित किशोर ''एक्स'' की पत्नी सुनीता कुमारी के नाम से रजिस्ट्र्ड पाया गया। यह भी पाया गया कि जप्त मोटरसाईकिल में रजिस्टेश्न नम्बर BR 26 L 8727 का नम्बर पलेट लगा था, जो किसी अन्य मोटरसाईकिल का रजिस्टेशन नम्बर था। मोटरसाईकिल का बास्तबिक रजिस्टेशन नम्बर BR26M2805 था, जिसे बदल कर दुसरा रजिस्ट्रेशन नम्बर लगाकर उपयोग किया जा रहा था। आगे कथन किया है कि इसके बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 364(A), 302, 120(B) I.P.C के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 46/2019 दिनांक 25.03.2019

Web Copy, Civil Court Jehanabad.

समर्पित किया। आरोप पत्र को अभियोजन ने प्रदर्श पी–14 के रूप में साबित कराया है।

इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा में पाता हूँ कि इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि वरीय पर्यवेक्षण टिप्पणी में दिए गए निर्देश के अनुसार उसने जप्त मोवाईल नम्बर 6200708816 एंव 6302671233 का सी0डी0आर0 और कैफ लाकेशन प्राप्त नही किया। मानीकपुर ओ0पी0 एंव बराबर पहाड़ी जहानाबाद के आसपास का डम्प डाटा निकालकर उसका कोई विशलेषन उसने अनुसंधान के क्रम में नही किया। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने अपने अनुसंधान क्रम में जप्त चाकु को एफ0एस0एल0 पटना में भेजकर कोई रिपोर्ट प्राप्त नही किया और न हीं किसी चक्षुदर्शी गवाह का बयान लिया और न ही कोई परिस्थिती जन्य साक्ष्य ही पाया।

इस साक्षी के साक्ष्य के समग्र समीक्षा से पाता हूँ कि इस मामले में जिस मोटरसाईकिल का प्रयुक्त अभियुक्त हरेराम विंद व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के द्वारा किया गया था, वह मोटरसाईकिल विधि विवादित किशोर ''एक्स'' की पत्नी के नाम से पंजीकृत थी, तथा उसका मूल रजिस्ट्रेशन नम्बर बदल कर उसपर गलत रजिस्ट्रेशन नम्बर लगाया गया था, जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त हरेराम विंद व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के द्वारा योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया गया था।

यधपि की इस साक्षी के द्वारा जप्त मोवाईल का सी0डी0आर0 व कैफ लोकेशन प्राप्त नही करने का कथन किया गया है, जबकि अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार के द्वारा अपने साक्ष्य में उक्त जप्त मोवाईल का सी0डी0आर0 व कैफ प्राप्त करने व कांड दैनिकी के पारा 96 में उसका उल्लेखित करना कहा है। इस साक्षी के द्वारा डम्प डाटा का अनुसंधान के क्रम में विश्लेषण नही करने का कथन किया है, परंतु इससे अभियुक्त हरेराम विंद के अपराध में संलिप्पता का तथ्य असत्य साबित नही होता है।

Web Copy, Civil Court Jehanabad.

35. अभियुक्त हरेराम बिन्द की ओर से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का अपनी बहस में कहना है कि अभियोजन इस मामले को अभियुक्त हरेराम विंद के विरूद्ध साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। उनके द्वारा बहस में आगे कहा गया कि अभियोजन ने अपने समर्थन में बारह साक्षियों को परीक्षित कराया है, परन्तु उन साक्षियों के साक्ष्यों में गंभीर विरोधाभाष है, जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो गया है। उनके द्वारा कहा गया कि अभियोजन साक्षी संख्या 05. संजय कुमार, जो कि इस मामले का सूचक है, ने अपने साक्ष्य में घर से मानिकपुर मेला में अंकित को खोजने के लिए स्वयं जाना कहा है। इसी प्रकार, अभियोजन साक्षी संख्या 04. अमित कुमार ने भी अपने साक्ष्य में पापा अर्थात् सूचक को हीं खोजने के लिए घर से जाने का कथन किया है, जबकि अभियोजन साक्षी संख्या 03. आरती देवी, जो कि सूचक

की पत्नी है, ने अपने साक्ष्य में पति, देवर और बेटा को मेला में खोजने के लिए जाने का कथन किया है। इसी प्रकार, अभियोजन साक्षी संख्या 02. अजय कुमार ने अपने साक्ष्य में भतीजा (अंकित) को खोजने का कथन किया है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि अभियोजन साक्षी संख्या 03. आरती देवी ने घटना के संबंध में लिखित आवेदन पति के द्वारा थाने पर देने का कथन अपने साक्ष्य में किया है, जबकि अभियोजन साक्षी संख्या 05. संजय कुमार ने अपने साक्ष्य में बड़ा बाबु के द्वारा घर पर आकर फर्दबयान लिए जाने का कथन किया है, जो विरोधाभाषों को दर्शित कर रहा है और इसका लाभ अभियुक्त हरेराम बिन्द को दिया जाना चाहिए।

जबकि राज्य की ओर से विद्वान प्रभारी विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षियों ने अपने साक्ष्यों में अभियोजन कथानक को पूर्णतः स्थापित किया है। बचाव पक्ष के द्वारा जो विरोधाभाष दर्शित कराया गया है, उससे अभियोजन साक्षियों का सम्पूर्ण साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाता है।

इस संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया। परिशीलन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा इस मामले में कुल 12 साक्षियों को अपने समर्थन में परीक्षित कराया गया है और उन सभी साक्षियों के साक्ष्यों से अभियुक्त हरेराम बिन्द की अपराध में संलिप्तता स्थापित हुई है। बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षियों के साक्ष्यों में मृतक अंकित कुमार को खोजने के संबंध में तथा प्राथमिकी दर्ज होने के संबंध में जिन विरोधाभाषों को दर्शित कराया गया है, उन्हें तात्विक प्रकृति का होना नहीं पाता हूँ। यदि विरोधाभाष तात्विक प्रकृति का नहीं है तो छोटी–छोटी असंगतियों के आधार पर हीं साक्षियों के सम्पूर्ण साक्ष्यों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। साक्षियों के साक्ष्यों में विरोधाभाषों का होना स्वाभाविक है और यदि विरोधाभाष ऐसी प्रकृति का है जिससे अभियोजन कथानक संदेहों से परिपूर्ण हो जाए, ऐसे विरोधाभाषों के आधार पर हीं अभियोजन कथानक को नकारा जा सकता है, अन्यथा नहीं।

अप्पा भाई एवं अन्य बनाम् गुजरात राज्य ए0आई0आर0, 1988 एस0सी0 696 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय को छोटी–छोटी विसंगतियों को अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिए जो अभियोजन पक्ष के मूल विवरण को प्रभावित नहीं करती हो। न्यायालय को किसी भी गवाह द्वारा दिए गए अतिरंजित विवरण को छोड़कर, अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि गवाह अपने विवरण में अलंकरण जोड़ते रहते है, शायद इस डर से कि कहीं उनकी गवाही अदालत द्वारा खारिज न कर दी जाय। न्यायालयों को ऐसे गवाहों के साक्ष्य पर पूरी तरह से अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए, यदि व अन्यथा विश्वसनीय हो।

Web copy Civil Court Jehanabad

इसी प्रकार, **सुच्चा सिंह बनाम् पंजाब राज्य ए0आई0आर0 2003 एस0सी0 3617** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि साक्ष्य के अधिकांश भाग में कमियॉ भी पाई जाती है, तथापि यदि शेष साक्ष्य अभियुक्त का अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हो तो, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अनाज को भूसे से अलग करे। किसी महत्वपूर्ण गवाह की गवाही में असत्यता अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य में असत्यता पाया जाना, पुरे मामले को शुरू से लेकर अन्त तक असत्य नहीं बना देता है। ''एक बात में झुठ तो सब में झुठ (Falsus in Uno, Falsus in Omnibus)'' का सिद्धान्त भारत में लागु नहीं होता है और केवल इसी आधार पर हीं किसी गवाह को झुठा घोषित नहीं किया जा सकता है। यदि इस सिद्धान्त को हर मामले में लागू कर दिया जाए, तो अपराधिक न्याय प्रशासन पूरी तरह से ठप हो जाएगा। गवाह प्रायः अपने कथन में अलंकरण या अतिशयोक्ति जोड़ देते है, यद्यपि कि मूल सत्य होता है। इसलिए हर मामले में यह आकलन करना आवश्यक होता है कि किस सीमा तक गवाह विश्वसनीय है। केवल इस कारण से कि बयान का कोई भाग अविश्वसनीय है या कमजोर लगता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि कानूनी रूप से पुरे बयान को हीं अस्वीकार कर दिया जाए।

अतः उपरोक्त के आलोक में विद्वान अधिवक्ता के तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है।

36. बहस के दौरान अभियुक्त हरेराम बिन्द की ओर से बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि सूचक के फर्दबयान में हरेराम बिन्द के द्वारा फोन पर फरौती मांगने का उल्लेख नहीं है, जबकि अभियोजन साक्षीयों ने अपने साक्ष्यों में फोन पर हरेराम बिन्द की भी आवाज होना कहा है। इसी प्रकार, अभियोजन साक्षी संख्या 04 अमित कुमार ने भी अपने साक्ष्य में फोन पर हरेराम बिन्द की आवाज का होना कहा है, जबकि अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार, जो कि इस मामले का अनुसंधानक है, ने अपने साक्ष्य में अमित कुमार के द्वारा अपने बयान में फोन पर हरेराम बिन्द की आवाज के होने के बारे में नहीं बताने का कथन किया है, इससे दर्शित होता है कि अभियोजन साक्षियों के द्वारा विचारण के स्तर पर अपने साक्ष्यों में सुधार किया गया है, जो अभियोजन कथानक पर संदेह उत्पन्न करता है और इसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि इस मामले में घटना दिनांक 25.12.2018 को अभियुक्त हरेराम बिन्द विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के साथ मृतक अंकित कुमार के घर पर आया था तथा उसे मानिकपुर मेला में मैच दिखाने के लिए लेकर गया और उसी दिन मृतक के भाई अमित कुमार के फोन पर अंकित कुमार के एवज में फिरौती के रूप में 20 लाख रूपये की मांग की गई। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षीगण संजय कुमार, अमित कुमार, आरती देवी व अजय कुमार ने अपने साक्ष्यों में फोन पर हरेराम बिन्द की भी आवाज होने का

Web Copy, Civil Court Jehanabad

कथन किया है। ऐसी स्थिति में फर्दबयान में इस बात का उल्लेख नहीं होने मात्र से हीं अभियोजन कथानक संदेहास्पद नहीं माना जायेगा और इसका लाभ अभियुक्त को नहीं मिलेगा।

इस सम्बन्ध में अभिलेख पर उपलब्ध फर्दबयान, जो कि प्रदर्श पी–2 है व अभियोजन साक्षियों के साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। फर्दबयान प्रदर्श पी–2 के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियुक्त हरेराम बिन्द, विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के साथ घटना तिथि 25.12.2018 को इस मामले के सूचक संजय कुमार के घ ार पर आया था तथा सूचक के पुत्र अंकित कुमार को मानिकपुर मेला में मैच दिखाने के नाम पर लेकर चला गया। उसी दिन अंकित कुमार के भाई अमित कुमार के मोबाईल पर फोन कर फिरौती के रूप में 20 लाख रूपया की मांग की गई। फर्दबयान में फिरौती मांगने वाले व्यक्ति की आवाज को विधि विवादित किशोर ''एक्स'' की होना उल्लेखित है। फर्दबयान में फोन पर फिरौती मांगने वाले की आवाज के रूप में अभियुक्त हरेराम बिन्द के नाम का उल्लेख नहीं है। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए अभियोजन साक्षी संख्या 02. अजय कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 03. आरती देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 04. अमित कुमार, व अभियोजन साक्षी संख्या 05. संजय कुमार ने अपने साक्ष्यों में फोन पर अभियुक्त हरेराम बिन्द की आवाज का होना व उसके आवाज को पहचानने का कथन किया है। प्रस्तुत मामले में सूचक संजय कुमार के फर्दबयान के आधार पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। फर्दबयान घटना का सम्पूर्ण शब्दकोश नहीं हो सकती है, जिसमें घटना से सम्बन्धित प्रत्येक तथ्यों का वर्णन हो। यदि उसमें तथ्यों का लोप है और साक्षियों के द्वारा विचारण के क्रम में प्राथमिकी से इतर तथ्यों का अपने साक्ष्यों में कथन किया गया है, तो मात्र इसी के आधार पर हीं अभियोजन कथानक संदेहास्पद नहीं माना जायेगा।

अमीष देवगन बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया, 2020 एस0सी0सी0 ऑनलाइन एस0 सी0 994 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट ऐसा विश्वकोष नहीं है, जिसमें अपराध से सम्बन्धित सभी तथ्यों और विवरणों का पूर्ण उल्लेख किया गया हो। यह ऐसा विस्तृत दस्तावेज भी नहीं है, जिसमें घटना से सम्बन्धित प्रत्येक सुक्ष्म और जटिल विवरण का क्रमबद्ध वर्णन हो। प्राथमिकी को स्वयं में सारभूत साक्ष्य नहीं माना जाता है तथा इसका उपयोग न्यायालय में सिर्फ सूचक के बयान की सम्पूष्टि या विरोधाभाष के लिए किया जा सकता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष द्वारा सूचक, जो कि अभियोजन साक्षी संख्या 05. संजय कुमार है तथा अमित कुमार, जो कि अभियोजन साक्षी संख्या 04 है, से फर्दबयान में फोन पर हरेराम बिन्द की आवाज का उल्लेख नहीं होने के सम्बन्ध में कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अभियेाजन साक्षी संख्या 04. अमित कुमार ने अपने साक्ष्य में पुलिस को दिए गए बयान में फोन पर

Web Copy, Civil Court Jehanabad

हरेराम बिन्द की आवाज का होना, बताने का उल्लेख किया है, जबकि अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार, जो कि अनुसंधाकर्ता है, ने अपने साक्ष्य में अमित कुमार के द्वारा अपने बयान में फिरौती मांगने वाले का आवाज हरेराम बिन्द का था, नहीं बताना कहा है। यद्यपि, कि यह विरोधाभाष को दर्शित कर रहा है, परन्तु इस विरोधाभाष मात्र से हीं अभियोजन कथानक को असत्य नहीं ठहराया जा सकता है जबकि घटना के संबध में अन्य तथ्यों से अभियुक्त हरेराम विंद की इस मामले में संलिप्पता स्थापित हुई है। अतः उपरोक्त से विद्वान अधिवक्ता के इस तथ्य में बल नहीं पाया जाता है।

37. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि प्रस्तुत मामले में घटना दिनांक 25.12.2018 को होना कहा गया है, परन्तु प्राथमिकी दिनांक 27.12.2018 को दर्ज करायी गई है और बिलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जो अभियोजन कथानक पर संदेह उत्पन्न कर रहा है, और इसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

जबकि प्रभारी विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि सूचक के द्वारा दिए गए फर्दबयान में इस बात का उल्लेख है कि घटना वाले दिन हीं सूचक संजय कुमार के द्वारा घटना की मौखिक सूचना मानिकपुर ओ0पी0 में दिया गया था। उनके द्वारा आगे कह गया कि फर्दबयान में यह भी उल्लेखित है कि उसके बड़े लड़के के मोबाईल पर 04:29 बजे तक दिन में कई बार फोन आया और 20 लाख रूपये की मांग हर बार की गई। पूरा परिवार डरा व सहमा हुआ था और कोई अनहोनी से बचने के लिए इसकी सूचना उनके द्वारा किसी को नहीं दिया गया। इससे प्राथमिकी दर्ज होने में हुए बिलम्ब का समुचित स्पष्टीकरण होना दर्शित हो रहा है।

इस संबध में अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के सम्यक अवलोकन से दर्शित होता है कि घटना दिनांक 25.12.2018 की है, जबकि प्राथमिकी दिनांक 27.12.2018 को दर्ज करायी गई। यह भी दर्शित होता है कि सूचक के लड़का अंकित कुमार को घटना वाले दिन अभियुक्त के द्वारा मानिकपुर मेला में मैच दिखाने के लिए ले जाया गया और जब वह वापस लौटकर नहीं आया तो सूचक द्वारा उसकी खोजबीन की गई और उसके नहीं मिलने पर मानिकपुर ओ0पी0 में मौखिक सूचना दी। इस बात का समर्थन अभियोजन साक्षी संख्या 02. अजय कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 03. आरती देवी, अभियेाजन साक्षी संख्या 04. अमित कुमार व अभियोजन साक्षी संख्या 05. संजय कुमार, जो कि सूचक है, ने अपने–अपने साक्ष्यों में किया है। फर्दबयान के अवलाकेन से यह भी दर्शित होता है कि किसी अनहोनी की आशंका होने के कारण सूचक का पूरा परिवार डरा सहमा हुआ था। इसलिए अपहृत अंकित कुमार का इन्तजार किए जाने के उपरान्त, उसके नहीं आने पर मानिकपुर थाना प्रभारी को घ ार पर बुलाया तथा सूचक द्वारा फर्दबयान दिया, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपहृत अंकित कुमार घटना के वक्त 14 वर्ष का

Web Copy Civil Court Jehanabad

था। ऐसी स्थिति में उसका अपहरण होने पर सूचक व उसके परिवार वालों के मन में उसकी सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की आशंकाओं का उत्पन्न होना होना स्वाभाविक है और ऐसी स्थिति में बिलम्ब से प्राथमिकी दर्ज कराए जाने से हीं अभियोजन को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में विद्वान अधिवक्ता के तर्क में बल नहीं पाया जाता है।

38. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार इस मामले का प्रथम अनुसंधानक है, ने जहॉ से लाश व चाकू का बरामद होना कहा गया है, वहॉ उसका कोई नजरी नक्शा नहीं बनाना कहा है जिससे, जिस स्थान पर लाश व चाकू का बरामद होना कहा गया है, वह स्थान स्थापित नहीं हो सका है। इससे यह भी दर्शित होता है कि अनुसंधानकर्ता उक्त स्थानों पर नहीं गया था, क्योंकि अगर वह उक्त स्थानों पर गया होता तो उसके द्वारा उस स्थान का नजरी नक्शा बनाया गया होता। बहस में आगे कहा गया कि बरामद किए गए चाकू व जले हुए कपड़ा को अनुसंधानकर्ता द्वारा जॉच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना नहीं भेजा गया जिससे यह स्थापित नही हो सका कि उक्त चाकू का प्रयोग घटना में किया गया था। इसी प्रकार, जले हुए कपड़ा को जॉच हेतु नहीं भेजे जाने से यह स्थापित नहीं हुआ है कि बरामद कपड़ा मृतक से संबंधित था। अतः इसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

जबकि विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षियों ने अपने साक्ष्यों में पुलिस के साथ इस मामले के अभियुक्त हरेराम बिन्द व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' को भी उस स्थान पर जाना कहा है, जहॉ से मृतक की लाश व चाकू बरामद हुआ था। अनुसंधानकर्ता द्वारा उक्त स्थानों का नजरी नक्शा नहीं बनाए जाने से हीं अभियोजन को संदेहास्पद नहीं कहा जा सकता है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि बरामद चाकू व कपड़े की राख को एफ0एस0एल0 जॉच हेतु नहीं भेजा गया, परन्तु अभियुक्त की निशानदेही से हीं उक्त चाकू व जले हुए कपड़े की बरामदगी हुई है। ऐसी स्थिति में उनको जॉच हेतु नहीं भेजने से हीं अभियोजन कथानक संदेहास्पद नहीं हो जायेगा।

इस सम्बन्ध में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के सम्यक अवलोकन व परिशीलन से दर्शित होता है कि इस मामले के अनुसंधानक, जो कि अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार है, ने अपने साक्ष्य में एक हीं घटनास्थल, जो कि सूचक का घर है, का उल्लेख किया है। इस साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य में जिस स्थान से मृतक की लाश बरामद हुई तथा जिस स्थान से घटना में प्रयुक्त चाकू व जले हुए कपड़े की राख बरामद हुई है, उसका वर्णन घटनास्थल के रूप में नहीं किया गया है और न हीं उसका नजरी नक्शा हीं तैयार किया गया है, परन्तु अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए अभियोजन साक्षी संख्या 01. सतेन्द्र कुमार, अभियेाजन साक्षी संख्या 02. अजय

Web Copy Civil Court Jehanabad

कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 04. अमित कुमार व अभियेाजन साक्षी संख्या 05. संजय कुमार के साक्ष्य के परिशीलन से दर्शित होता है कि पुलिस अभियुक्त हरेराम बिन्द व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के साथ बराबर पहाड़ी पर गयी थी तथा अभियुक्त की निशानदेही पर मृतक अंकित कुमार की लाश की बरामदगी हुई थी। इसी प्रकार, अभियोजन साक्षी संख्या 11. कृतनारायण कुमार सिन्हा व अभियोजन साक्षी संख्या 12. विनोद यादव के साक्ष्य के परिशीलन से दर्शित होता है कि अभियुक्त हरेराम बिन्द व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' तथा अन्य लोगों के साथ यह दोनों साक्षीगण ग्राम चाड गए थे और वहॉ पर अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू व मृतक के कपड़े की जले हुए राख की बरामदगी हुई थी, जिसके सम्बन्ध में घ टनास्थल पर हीं जप्ती सूची, जो कि प्रदर्श पी–11 है, इस मामले के अनुसंधाकर्ता अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार के द्वारा तैयार की गई थी। जिसपर इन दोनों साक्षियों ने भी अपना–अपना हस्ताक्षर किया था, जो कि प्रदर्श पी–16 व प्रदर्श पी–17 है। अनुसंधानकर्ता द्वारा लाश बरामद होने के स्थान एंव चाकू व जले हुए कपड़े की राख के बरामद होने के स्थान का नजरी नक्शा नहीं बनाए जाने के आधार पर हीं चाकू व जले हुए कपड़े की राख की बरामदगी के तथ्य को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है और वह भी तब जबकि उक्त बरामदगी का समर्थन जप्ती सूची के साक्षियों द्वारा अपने साक्ष्यों में किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि बरामद किए गए चाकू व राख को अनुसंधानकर्ता द्वारा जॉच हेतु एफ0एस0एल0, पटना नहीं भेजा गया, परन्तु यह उस स्थिति में आवश्यक होता, जबकि अनुसंधानकर्ता द्वारा घटना में प्रयुक्त हथियार को अन्य किसी माध्यम से बरामद किया गया होता। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की निशानदेही पर हीं घटना में प्रयुक्त चाकू व कपड़े की राख साक्षियों की उपस्थितियों में बरामद हुई है तथा साक्षियों ने अपने साक्ष्यों में उक्त बरामदगी का समर्थन किया है ऐसी स्थिति में बरामद चाकू व जले हुए कपड़े की राख की जॉच हेतु उन्हें एफ0एस0एल0, पटना नहीं भेजा गया तो इसी के आधार पर हीं उक्त चाकू का घटना में प्रयुक्त नहीं होना स्थापित नही हो जाता है। अतः उपरोक्त के अवलोकन से विद्वान अधिवक्ता का तर्क में बल नही पाया जाता है।

39. विद्वान अधिवक्ता बहस के दौरान यह भी कहना है किजब इस मामले के विधि विवादित किशोर ''एक्स'' व हरेराम बिन्द दोनों एक ही साथ पकड़े गए थे तो फिर अभियुक्त हरेराम बिन्द का स्वीकारोक्ति बयान क्यों नहीं लिया गया, जो यह दर्शाता है कि अभियुक्त हरेराम बिन्द को बाद में उसके घर से पकड़ा गया और गिराफ्तारी को एक साथ दर्शा दिया गया। आगे कहा गया कि विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर बरामदगी हुई है, जबकि अभियुक्त हरेराम बिन्द का कोई स्वीकारोक्ति बयान नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त बरामदगी का

Web Copy, Civil Court Jehanabad

अभियुक्त हरेराम बिन्द की निशानदेही पर होना नहीं कहा जा सकता है और उक्त बरामदगी को अभियुक्त के विरूद्ध साबित नहीं किया जा सकता है।

जबकि राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि इस मामले में अभियुक्त हरेराम बिन्द व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' को साथ में पकड़ा गया था। यद्यपि कि स्वीकारोक्ति बयान विधि विवादित किशोर ''एक्स'' का ही अभिलिखित किया गया जो कि प्रदर्श पी–12 है, परंतु उस स्वीकारोक्ति बयान का समर्थन अभियुक्त हरेराम बिन्द ने भी किया है, जिसका उल्लेख कांड दैनिकी के पैरा 24 में किया गया है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि अभियुक्त हरेराम बिन्द व विधि विवादित किशोर ''एक्स'', इन दोनों के द्वारा मृतक अंकित कुमार की लाश तथा घटना में प्रयुक्त चाकू व जले हुए कपड़े की राख बरामद करायी गयी। उक्त बरामदगी अभियुक्त हरेराम बिन्द के विरूद्ध भी प्रयुक्त होगी।

इस सम्बन्ध में अभिलेख का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया। परिशीलन से दर्शित होता है कि इस मामले में अभियुक्त हरेराम बिन्द व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है। अग्रेत्तर पाता हूँ कि अभियुक्त हरेराम बिन्द व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' को दिनांक 27.12.018 को दोनों को एक साथ शकुराबाद बाजार में पकड़ा गया था तथा वहीं पर तलाशी–सह–जप्ती सूची प्रदर्श पी–9 तैयार की गई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि इस मामले के अनुसंधानकर्ता अनिल कुमार, जो कि अभियोजन साक्षी संख्या 07 है, ने अपने साक्ष्य में थानाअध्यक्ष कुर्था मनोज कुमार के द्वारा विधि विवादित किशोर ''एक्स'' का स्वीकृति बयान लिए जाने का कथन किया है। यद्यपि कि अभियुक्त हरेराम बिन्द का कोई स्वीकारोक्ति बयान अभिलिखित नहीं किया गया है, परन्तु कांड दैनिकी के पारा 24 के परिशीलन से दर्शित होता है कि विवादित किशोर ''एक्स'' द्वारा की गई स्वीकारोक्ति बयान का समर्थन अभियुक्त हरेराम बिन्द के द्वारा भी किया गया। स्वीकारोक्ति बयान में मृतक अंकित कुमार की लाश बराबर पहाड़ी में छिपाने तथा चाकू को ग्राम चाड स्थित बरगद के पेड़ के पास सुखे नाले में फेंकने का उल्लेख है। अभियुक्त हरेराम बिन्द व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' की निशानदेही पर हीं मृतक की लाश व चाकू की बरामदगी हुई। उक्त बरामदगी का समर्थन अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए अभियेाजन साक्षी संख्या 11. कृतनारायण कुमार सिन्हा व अभियोजन साक्षी संख्या 12. विनोद यादव ने अपने–अपने साक्ष्यों में किया है।

यहॉ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। यह धारा अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी, के संबंध में प्रावधान करती है।

इस धारा के अनुसार, परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस अधिकारी के अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से

Web Copy, Civil Court Jehanabad.

उतनी चाहे, वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतद् द्वारा, पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सके।

यह स्थापित है कि अभियुक्त हरेराम बिन्द व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' इस मामले के प्राथमिकी अभियुक्त है तथा स्वीकारोक्ति बयान के समय वे दोनो पुलिस की अभिरक्षा में थे तथा दिए गए स्वीकारोक्ति बयान से हीं मृतक अंकित कुमार की लाश व घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त बरामदगी अभियुक्त हरेराम बिन्द के विरूद्ध भी साबित की जा सकेगी।

अतः उपरोक्त के आलोक में विद्वान अधिवक्ता के तर्क में बल नहीं पाया जाता है।

40. विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अभियोजन साक्षी संख्या 11. कृतनारायण कुमार सिन्हा के द्वारा अपने साक्ष्य में पूर्व में न्यायालय में दी गई गवाही में नहीं बोला था कि पुलिस के साथ विधि विवादित किशोर ''एक्स'' और हरेराम बिन्द भी साथ में थे, जो दर्शित करता है कि अभियुक्त हरेराम बिन्द बरामदगी के समय पुलिस के साथ नहीं था। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि विद्वान अधिवक्ता की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे यह दर्शित हो सके कि इस साक्षी के द्वारा अपनी पूर्व की गवाही में क्या साक्ष्य दिया गया गया था। इस साक्षी ने इस न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में अभियुक्त हरेराम बिन्द व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' का पुलिस के साथ दिनांक 27.12.2018 को होना तथा मृतक अंकित कुमार की लाश व चाकू की बरामदगी होने का तथा उस सम्बन्ध में घटनास्थल पर हीं जप्ती सूची तैयार होने का कथन किया है। इसी प्रकार, अभियोजन साक्षी संख्या 12. विनोद यादव, जो कि स्वतंत्र साक्षी है, ने अपने साक्ष्य में अभियुक्त हरेराम बिन्द व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के द्वारा बताए अनुसार, लाश व चाकू की बरामदगी होने तथा उस सम्बन्ध में जप्ती सूची तैयार होने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता के तर्क में बल नहीं पाता हूँ।

Web Copy, Civil Court Jehanabad

41. विद्वान अधिवक्ता का बहस के दौरान यह भी कथन है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने साक्ष्य में चाकू बरामदगी के स्थान पर हरेराम बिन्द के मोबाईल का टावर लॉकेशन मिलना कहा है, परन्तु टावर लॉकेशन का रेंज क्या होता है तथा जिस टावर लोकेशन का वर्णन उसने किया है, उसकी कैपेसीटी क्या है, इसकी जानकारी नहीं होना कहा है। इसी प्रकार, अनुसंधान में रेंज व कैपेसीटी को नहीं दर्शाया गया है, तो मात्र लोकेशन मिलने के आधार पर हीं अभियुक्त हरेराम बिन्द को दोषी नहीं माना जा सकता है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि अभियुक्त के पास से उसका मोबाईल बरामद हुआ था तथा जिस मोबाईल नंबर से फिरौती की मांग की गई थी, वह अभियुक्त हरेराम बिन्द का नहीं था तथा उक्त मोबाईल के सम्बन्ध में

कोई अनुसंधान नहीं किया गया। आगे कहा गया कि द्वितीय अनुसंधानकर्ता, जो कि अभियोजन साक्षी संख्या 09. दीपक कुमार है, ने अपने साक्ष्य में जप्त मोबाईल नंबर 6200708816 व मोबाईल नंबर 6302671233 का सी0डी0आर0 व कैफ लोकेशन प्राप्त नहीं करना तथा डम्प डाटा का विश्लेषण नही करना कहा है, जिससे अभियोजन, अभियुक्त हरेराम विंद के विरूद्ध यह स्थापित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त हरेराम विंद घटनास्थल पर था।

जबकि प्रभारी विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि सभी साक्षीयों ने घटना का पूर्णतया समर्थन किया है। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में की गई त्रुटियों के आधार मात्र से हीं सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को नकारा नहीं जा सकता है।

इस सम्बन्ध के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से दर्शित होता है कि इस मामले में दो अनुसंधानकर्ता है, प्रथम अनुसंधानकर्ता अनिल कुमार, जो कि अभियोजन साक्षी संख्या 07 है, दूसरे अनुसंधानकर्ता दीपक कुमार, जो कि अभियेाजन साक्षी संख्या 09 है। अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार के साक्ष्य के परिशीलन से दर्शित होता है कि इस साक्षी के द्वारा अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त हरेराम बिन्द व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' के मोबाईल का सी0डी0आर0 व कैफ प्राप्त किया व टावर लोकेशन का उल्लेख कांड दैनिकी के पैरा 96 में उसने किया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में टावर लोकेशन के रेंज की जाकारी नही होने तथा टावर की कैपसीटी पावर का उल्लेख नहीं करने का कथन अपने साक्ष्य में किया है, परन्तु इसी के आधार पर हीं इस साक्षी के सम्पूर्ण साक्ष्य को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार, अभियोजन साक्षी संख्या 09. दीपक कुमार के द्वारा पर्यवेक्षण टिप्पणी में दिए गए निर्देश के अनुपालन में जप्त मोबाईल नंबर का सी0डी0आर0 और कैफ लोकेशन प्राप्त नहीं करने का कथन किया है, जबकि उक्त जप्त मोवाईल के संबध में पूर्व अनुसंधाान कर्ता द्वारा सी0डी0आर0 व कैफ प्राप्त किया जा चुका था। यधपि कि इस साक्षी के द्वारा डम्प डाटा का विश्लेषण नहीं करने का कथन किया है, परन्तु इसी आधार पर हीं सम्पूर्ण अनुसंधान का संदेहास्पद होना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बचाव पक्ष का यह भी कहना है कि जिस मोवाईल नंबर से फोन पर फिरौती मांगी गई थी, उस सम्बन्ध में कोई अनुसंधान नहीं किया गया, जबकि साक्षी संख्या 07 के साक्ष्य के परिशीलन से दर्शित होता है कि इस साक्षी के द्वारा अनुसंधान के क्रम में मोबाईल नंबर 9523933641 का सी0डी0आर0 व टावर लोकेशन प्राप्त किया गया था और टावर लोकेशन मखपा, मखदुमपुर जहानाबाद में पाया गया। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षियों ने अपने साक्ष्यों में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि फिरौती मांगने वाले की आवाज हरेराम बिन्द की थी और इस बिन्दु पर बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया, परन्तु ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन साक्षियों के द्वारा किया गया उक्त कथन खंडित हो सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालयों ने विभिन्न मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि

Web Copy, Civil Court Jehanabad

अनुसंधान में त्रुटियॉ होने से हीं उसका लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता है, यदि अन्य परिस्थितियों से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध का किया जाना स्थापित हुआ हो।

सी.मुनियप्पन बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु (2010) 9 एस0सी0सी0 567 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विधि इस बिन्दु पर सुस्थापित है कि अनुसंधान में खामियॉ स्वयं में अभियुक्त की दोषमुक्ति का आधार नहीं हो सकती है। यदि जानबुझकर या लापरवाही से की गई अनुसंधान की त्रुटियों अथवा अनुसंधान की खामियों को हीं प्रमुखता दी जायेगी, तो इससे आपराधिक न्याय व्यवस्था में आम लोगों का विश्वास कमजोर हो जायेगा। जहॉ अन्वेषण एजेन्सी की लापवाही या चूक के कारण अनुसंधान त्रुटिपूर्ण हुआ हो तो, वहॉ न्यायालय का यह कानूनी दायित्व है कि वह उन त्रुटियों को अलग रखते हुए अभियोजन साक्षियों के साक्ष्यों की सावधानी पूर्वक जॉच करे, यह देखने के लिए कि वे कितने विश्वसनीय है और क्या उन त्रुटियों से सत्य की खोज के उद्देश्य पर कोई प्रभाव पड़ा है। इसलिए आपराधिक विचारण में अनुसंधान हीं न्यायिक परीक्षण का एक मात्र आधार नहीं हो सकता है। मामले में विचारण का निष्कर्ष केवल अनुसंधान की गुणवत्ता पर निर्भर नहीं किया जा सकता है।

इसी प्रकार, **राम बिहारी यादव एवं अन्य बनाम् स्टेट ऑफ बिहार (1995) 6 एस0सी0सी0 31** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि जानबूझ कर की गई या लापरवाही भरे अनुसंधान को हीं प्राथमिकता दी जाए और अनुसंधान में हुई त्रुटियों या चूक को हीं आधार बना लिया जाए तो इससे न केवल कानून लागु करने वाली एजेन्सियॉ बल्कि न्याय व्यवस्था में भी जनता का विश्वास कमजोर हो जाएगा।

इसी प्रकार, **धनराज सिंह उर्फ शेरा बनाम् स्टेट ऑफ पंजाब (2004) 3 एस0सी0सी0 654** में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि अनुसंधान में त्रुटि हो, तो न्यायालय को साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। केवल अनुसंधान में त्रुटि के कारण हीं अभियुक्त को बरी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से लापरवाही और त्रुटिपूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षियों के साक्ष्यों से यह स्थापित हुआ है कि घटना की तिथि को अभियुक्त हरेराम बिन्द सूचक के घर पर आया था, तथा मृतक अंकित कुमार को अपने साथ लेकर मानीकपुर मेला में चला गया था। अंकित कुमार को मानीकपुर मेला में अभियुक्त हरेराम विंद के साथ देखा गया था और तत्पश्चात् से अंकित कुमार तथा अभियुक्त हरेराम बिन्द का पता नहीं चला। बाद में घटना वाले दिन फोन पर फिरौती की मांग की गई और फोन पर उस आवाज को अभियुक्त हरेराम बिन्द का होना अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्यों में स्वीकार किया है। अभियुक्त हरेराम बिन्द व विधि विवादित किशोर ''एक्स'' एक साथ पकड़े

Web Copy, Civil Court Jehanabad.

गए थे और उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार (चाकू) व मृतक की लाश बरामद हुई थी। इस मामले के सभी परिस्थितियॉ अभियुक्त हरेराम बिन्द से शुरू होकर और उसी पर आकर समाप्त होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष ऐसा कोई तथ्य अपने समर्थन में प्रस्तुत नहीं कर सका है जिससे दर्शित हो सके कि सूचक के परिवार से अभियुक्त हरेराम बिन्द की पूर्व से दुश्मनी या रंजीश थी और इसी कारण उसे इस मामले में फंसाया गया है। अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो अभियुक्त हरेराम बिन्द को गलत फंसाए जाने के तथ्य को स्थापित करती हो।

अतः उपरोक्त के आलोक में विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में बल नहीं पाया जाता है।

42. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्त का यह भी तर्क है कि विचारण के दौरान जब जप्त प्रदर्श को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो वह सीलबन्द अवस्था में नहीं था, ऐसी स्थिति में जप्त प्रदर्श के साथ छेड़छाड़ से इन्कार नहीं किया जा सकता है और इसका लाभ अभियुक्त हरेराम बिन्द को दिया जाना चाहिए।

जबकि राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि जप्त प्रदर्श का सीलबन्द नहीं होने से उसमें छेड़छाड़ होने की सम्भावना उत्पन्न नहीं हो जाती है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त हरेराम बिन्द व विवादित किशोर ''एक्स'' नामजद अभियुक्त है तथा विवादित किशोर ''एक्स'' का विचारण चिल्ड्रेन केस संख्या 02/2019 में किशोर न्यायालय द्वारा किया गया है। उक्त वाद में विचारण के दौरान जप्त प्रदर्श सीलबन्द अवस्था में किशोर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसलिए इस न्यायालय के समक्ष उक्त जप्त प्रदर्शो को प्रस्तुत किया गया था तो वह सीलबन्द अवस्था में न होकर धागे से बांधी अवस्था में था। बचाव पक्ष का यह केवल एक अनुमान है और बचाव पक्ष ने ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह दर्शित हो सके कि विचारण के दौरान प्रस्तुत किए गए जप्त प्रदर्श में कोई छेड़छाड़ की गई हो।

इस संबध में अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के सम्यक परिशीलन से दर्शित होता है कि अभियोजन साक्षी संख्या 10. पियुष कुमार जायसवाल के द्वारा जप्त प्रदर्श को विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि जप्त प्रदर्श सीलबन्द अवस्था में नही अपितु बांधी हुई स्थिति में प्रस्तुत किया गया। उक्त जप्त प्रदर्श में बरामद चाकू, राख, जीयों कम्पनी का मोबाईल व सैमसंग का स्मार्ट फोन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे अभियोजन द्वारा वस्तु प्रदर्श अंकित कराया गया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि इस साक्षी के साक्ष्य के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि उक्त प्रदर्शों पर चिल्ड्रेन केस संख्या 02/2019 में अंकित प्रदर्श संख्या उल्लेखीत है, जिससे यह दर्शित होता है कि उक्त जप्त प्रदर्शों को इस न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान प्रस्तुत करने से पहले चिल्ड्रेन केस संख्या 02/2019 में किशोर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया

Web Copy, Civil Court Jehanabad

जा चुका था, इसलिए इस न्यायालय के समक्ष उक्त जप्त प्रदर्श प्रस्तुत किए जाते समय जप्त प्रदर्श सीलबन्द अवस्था में न होकर बांधी गई अवस्था में प्रस्तुत की गई। इस साक्षी के द्वारा संबंधित थाने के मालखाने का मूल रजिस्टर भी प्रस्तुत किया गया और उस रजिस्टर के क्रमांक संख्या 14/2018 में जप्त की गई वस्तुओं का दर्ज होना उल्लेखित है, जिसे अभियोजन ने प्रदर्श पी–15 के रूप में साबित कराया है। प्रदर्श पी–15 के अवलोकन से दर्शित होता है कि जिन वस्तुओं को विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया उनका उल्लेख थाना के मालखाना रजिस्टर में भी है जिससे यह स्थापित होता है कि बरामद हुई वस्तुओं को थाना के मालखाना में नियमानुसार रखा गया था।

अतः उपरोक्त के आलोक में विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में बल नहीं पाया जाता है।

43. प्रस्तुत मामले में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के सम्यक अवलोकन व परिशीलन के उपरान्त यह दर्शित होता है कि इस मामले में अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे यह स्थापित हो सके कि मृतक अंकित के संबंध में अपराध यह जानते हुए किया गया था कि वह अनु0जाति/अनु0जन जाति से संबंधित है। ऐसी स्थिति में विचारित अभियुक्तगण हरेराम बिन्द, नागेन्द्र पासवान व मुन्ना कुमार के विरूद्ध धारा 3(2)(v) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम का अपराध का साबित होना दर्शित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण हरेराम विंद, नागेन्द्र पासवान व मुन्ना कुमार सिंह को धारा 3(2)(v) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम में विरचित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

इसी प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के सम्यक परिशीलन से दर्शित होता है कि अभियोजन अपने द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षियों के साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है, जिससे कि विचारित अभियुक्तगण नागेन्द्र पासवान व मुन्ना कुमार के विरूद्ध विरचित आरोप साबित हो सके। अतः अभियुक्त नागेन्द्र पासवान व मुन्ना कुमार को धारा 364(A), 302, 120(B) भा0द0वि0 में विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण नागेन्द्र पासवान व मुन्ना कुमार पूर्व से जमानत पर हैं, इसलिये इनका बंधपत्र रद्द करते हुए उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

जहॉ तक प्रश्न विचारित अभियुक्त हरेराम बिन्द का है तो इस संबंध में उपर वर्णित समस्त तथ्यों एवं तर्कों के सम्यक परिशीलन से यह दर्शित होता है कि अभियोजन, घटना की समस्त परिस्थितिजन्य कड़ियों को अभियुक्त हरेराम बिन्द के विरूद्ध जोड़ने में सफल रहा है और परिस्थितियों की समस्त कड़ियॉ अभियुक्त हरेराम बिन्द की घटना में संलिप्तता को पूर्णतः स्थापित कर रही है।

Web Copy, Civil Court Jehanabad.

अतः उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में अभियुक्त हरेराम विंद को अन्तर्गत धारा 364(A), *302*, 120(B) भा0द0वि0 में विरचित आरोप के लिए दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त हरेराम विंद न्यायालय में उपस्थित है तथा पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त हरेराम विंद का बंधपत्र खंडित किया जाता है तथा उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

अभिलेख सजा के बिन्दु पर दिनांक 11.03.2026 को प्रस्तुत किया जाय।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय
में हस्ताक्षरित, दिनांकित, उद्घोषित
एवं शुद्धिकृत किया गया।

लेखापित

(अरूण कुमार शर्मा)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम।
जहानाबाद।
दिनांकः–25.02.2026

(अरूण कुमार शर्मा)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम।
जहानाबाद।
दिनांकः–25.02.2026

Web Copy, Civil Court Jehanabad.

दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई

11.03.2026

44. अभिलेख दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। दोषसिद्ध अभियुक्त हरेराम बिन्द मण्डल कारा, जहानाबाद से न्यायालय के समक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित है।
45. दण्ड के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना गया।
46. राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि प्रस्तुत मामले में सूचक के पुत्र अंकित कुमार का फिरौती के लिए अपहरण किया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। मृतक अंकित कुमार की उम्र घटना के वक्त 14 वर्ष की थी। अभियुक्त द्वारा योजना बनाकर अपराध कारित किया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा जानते व समझते हुए उक्त अपराध कारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त न्यायालय की किसी सहानुभूति का पात्र नहीं है। अभियुक्त का अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी का है। अन्त में उनके द्वारा अभियुक्त हरेराम बिन्द को मृत्यु दण्ड दिए जाने का निवेदन किया गया।
47. अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि का इतिहास नहीं है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त अपने परिवार में एक मात्र कमाने वाला सदस्य है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि अभियुक्त अभी युवा है और उसमें सुधार की पर्याप्त संभावना है। अतः अभियुक्त को न्यूनतम दण्ड दिए जाने का अनुरोध किया गया।
48. उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध प्रोबेशन अधिकारी, अरवल की अभियुक्त हरेराम बिन्द से संबंधित समाजिक अन्वेषण रिपोर्ट व अन्य तथ्यों का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया। अभिलेख के परिशीलन से दर्शित होता है कि अभियुक्त को इस मामले में धारा 364(A), 302 व 120(B) भा0द0वि0 के लिए दोषसिद्ध किया गया है। धारा 364(A) व धारा 302 भा0द0वि0 में मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।

यहॉ पर यह उल्लेख किया जाना समीचिन है कि **बच्चन सिंह बनाम् पंजाब राज्य (1980) 2 एस0सी0सी0 684** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विरलतम मामलों में हीं मृत्युदण्ड दिया जाना चाहिए, जिसमें गुरूतर (Aggravating Factor) और कमतर (Mitigating Factor) करने वाली दोनों परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। यदि अपराध में कमतर करने बाली परिस्थतियॉ दर्शित होती है तो आजीवन कारावास का दंण्डादेश दिया जाना चाहिए और यदि अपराध में गुरूतर करने बाली परिस्थतियॉ दर्शित होती है, तो उसे 'विशेष कारणों ' की कोटि में रखते हुए मृत्यु का दंण्डादेश दिया जाना

Web Copy, Civil Court Jehanabad.

चाहिए।

प्रस्तुत मामले में यह दर्शित होता है कि अभियुक्त के द्वारा मृतक अंकित कुमार की जिसकी उम्र घटना के वक्त 14 वर्ष की थी, घर से मैच दिखाने के लिए लेकर जाया गया था, तथा उसके घरबालों से फिरौती में बीस लाख रूपये की मांग की गई, और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। मामले के तथ्यों एंव परिस्थितियों के अवलोकन से यह दर्शित नहीं होता है कि मृतक अंकित कुमार की हत्या ''वीभत्स'' तरीके से की गई थी। अभिलेख पर उपलब्ध दोषसिद्ध अभियुक्त हरेराम बिन्द की समाजिक अन्वेषण रिपोर्ट से उसके विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी का होना दर्शित नहीं हो रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन ने ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्थापित हो सके कि दोषसिद्ध अभियुक्त हरेराम विंद पूर्व से किसी मामले के लिए दोषसिद्ध हुआ हो।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यो व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रस्तुत मामले को विरलतम मामलों की श्रेणी का होना नहीं पाती है तथा दोषसिद्ध अभियुक्त हरेराम बिन्द को निम्न दण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होना न्यायोचित समझती है। अतएव,

आदेश

49. (i) दोषसिद्ध अभियुक्त हरेराम बिन्द को धारा 364(A) भा0द0वि0 के तहत् दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास से एवं बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर अभियुक्त को छः मास का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।

(ii) दोषसिद्ध अभियुक्त हरेराम बिन्द को धारा 302 भा0द0वि0 के तहत दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास से एवं बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर अभियुक्त को छः मास का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।

(iii) दोषसिद्ध अभियुक्त हरेराम बिन्द को धारा 120(B) भा0द0वि0 के तहत दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास से एवं बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर अभियुक्त को छः मास का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।

50. दोषसिद्ध अभियुक्त पर अधिरोपित सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी, तथा इस मामले में अभियुक्त हरेराम बिन्द द्वारा अन्वेषण, जॉच या विचारण के दौरान जेल में बितायी गयी अवधि इस दण्डादेश में समायोजित की जाएगी।

51. प्रस्तुत मामले में न्यायालय यह भी पाती है कि मृतक अंकित कुमार का पिता संजय कुमार इस मामले में पीड़ित पक्षकार है। अतः दोषसिद्ध अभियुक्त हरेराम

Web Copy, Civil Court Jehanabad.

विंद पर अधिरोपित जुर्माना की कुल राशी को प्रतिकर के रूप में सूचक संजय कुमार, पिता स्व0 विजय कुमार, साकिन मानिकपुर, थाना कुर्था मानीकपुर ओ0पी0, जिला अरवल को प्रदान किया जाएगा।

52. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की निः शुल्क प्रति नियमानुसार दोषसिद्ध अभियुक्त हरेराम बिन्द को अविलंब उपलब्ध कराई जाए।
53. इस निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, जहानाबाद को प्रेषित की जाय।
54. कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा कराना सुनिश्चित करें।

दण्डादेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय
में हस्ताक्षरित, दिनांकित, उद्घोषित
एवं शुद्धिकृत किया गया।

लेखापित

(अरूण कुमार शर्मा)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम
जहानाबाद।
दिनांकः–11.03.2026

(अरूण कुमार शर्मा)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम
जहानाबाद।
दिनांकः–11.03.2026

Web Copy, Civil Court Jehanabad.

साक्ष्य का परिशिष्ट

अनुक्रमणिका

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के गवाहों की सूची

A. अभियोजन :–

रैंक	नाम	गवाह की प्रकृति (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सा गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्लू.1	सतेन्द यादव	अन्य गवाह
पी.डब्लू.2	अजय कुमार	अन्य गवाह
पी.डब्लू.3	आरती देवी	अन्य गवाह
पी.डब्लू.4	अमित कुमार,	अन्य गवाह
पी.डब्लू.5	संजय कुमार	सूचक
पी.डब्लू.6	अशोक कुमार	तलाशी सह जप्ती सूची गवाह
पी.डब्लू.7	अनिल कुमार	पुलिस गवाह
पी.डब्लू.8	डॉ0 सतीश कुमार	चिकित्सा गवाह
पी.डब्लू.9	दिपक कुमार	पुलिस गवाह
पी.डब्लू.10	पियुष कुमार जायसवाल	पुलिस गवाह
पी.डब्लू.11	कृतनारायण कुमार सिन्हा	जप्ती सूची गवाह
पी.डब्लू.12	विनोद यादव	जप्ती सूची गवाह

B. बचाव पक्ष साक्षी, यदि हो तो :– कोई नहीं।

C. न्यायालय साक्षी, यदि हो तो :– कोई नहीं।

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्शो की सूची

A. अभियोजन :–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी.–1/पी.डब्लू.4	अभियोजन साक्षी संख्या 04. अमित कुमार द्वारा फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।
2.	प्रदर्श पी.–2/पी.डब्लू.5	अभियोजन साक्षी संख्या 05. संजय कुमार द्वारा फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।
3.	प्रदर्श पी.–3/पी.डब्लू6	अभियोजन साक्षी संख्या 06. अशोक कुमार द्वारा तलाशी–सह–जप्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।

Web Copy, Civil Court Jehanabad.

4.	प्रदर्श पी.–4/पी.डब्लू.6	अभियोजन साक्षी संख्या 06. अशोक कुमार द्वारा तलाशी–सह–जप्ती सूची पर रामविनय के हस्ताक्षर की पहचान की गई।
5.	प्रदर्श पी.–5/पी.डब्लू.7	अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार द्वारा सम्पूर्ण फर्दबयान पर अपने लिखावट व हस्ताक्षर की पहचान की गई।
6.	प्रदर्श पी.–6/पी.डबलू.7	अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार द्वारा फर्दबयान पर अग्रसारण को अपने लिखावट व हस्ताक्षर में होने की पहचान की गई।
7.	प्रदर्श पी.–7/पी.डब्लू.7	अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार द्वारा फर्दबयान पर पृष्ठांकन थानाध्यक्ष मनोज कुमार के लिखावट व हस्ताक्षर में होने की पहचान की गई।
8.	प्रदर्श पी.–8/पी.डब्लू.7	अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार द्वारा औपचारिक प्राथमिकी पर थानाअध्यक्ष कुर्था मनोज कुमार के हस्ताक्षर की पहचान की गई।
9.	प्रदर्श पी.–9/पी.डब्लू.7	तलाशी–सह–जप्ती सूची
10.	प्रदर्श पी.–10/पी.डब्लू.7	अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार द्वारा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।
11.	प्रदर्श पी.–11/पी.डब्लू.7	अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार द्वारा जप्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।
12.	प्रदर्श पी.–12/पी.डब्लू.7	अभियोजन साक्षी संख्या 07. अनिल कुमार द्वारा स्वकारोक्ती बयान को मनोज कुमार थानाध्यक्ष कुर्था के लेख व हस्ताक्षर में होने की पहचान की गई।
13.	प्रदर्श पी.–13/पी.डब्लू.8	अभियोजन साक्षी संख्या 08. डॉ सतीश कुमार द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।
14.	प्रदर्श पी.–14/पी.डब्लू.9	आरोप पत्र
15.	प्रदर्श पी.–15/पी.डब्लू.10	मालखाना रजिस्ट्र के प्रविष्टी संख्या– 14/2018
16.	प्रदर्श पी.–16/पी.डब्लू.11	अभियोजन साक्षी संख्या 11.कृतनारायण कुमार सिन्हा द्वारा जप्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।
17.	प्रदर्श पी.–17/पी.डब्लू. 11	अभियोजन साक्षी संख्या 11.कृतनारायण कुमार सिन्हा द्वारा जप्ती सूची पर विनोद यादव के हस्ताक्षर की पहचान की गई।

Web Copy, Civil Court Jehanabad.

B. बचाव पक्ष प्रदर्श :– कोई नहीं।

C. न्यायालय प्रदर्श :– कोई नहीं।

D. वस्तु प्रदर्श :–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	वस्तु प्रदर्श–1/पी.डब्लू10	कागज में रखी गई राख
2.	वस्तु प्रदर्श–2/पी.डब्लू10	आरीदार छोटा चाकू
3.	वस्तु प्रदर्श–3/पी.डब्लू10	जिओ कंपनी का मोवाईल
4.	वस्तु प्रदर्श–4/पी.डब्लू10	गोल्डेन कलर का सैमसंग का स्मार्ट फोन
5.	वस्तु प्रदर्श–5/पी.डब्लू10	लाल–काला रंग का हिरो ग्लैमर मोटरसाईकिल

लेखापित

(अरूण कुमार शर्मा)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
जहानाबाद।
दिनांकः–11.03.2026

Web Copy, Civil Court Jehanabad.

निर्णय तय करने की तिथि :	13.02.2026
निर्णय की तिथि :	25.02.2026, **दण्ड के बिन्दु पर– 11.03.2026**
अपलोडिंग की तिथि :	13.03.2026
अपलोड करने वाले का नामः	जय प्रिया